वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2019 – 2020

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8–बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर (राज.) – 301002

सखी कम्पनी को ET द्वारा
Best FPO in Governance Mechanism North Region
के लिए अवार्ड मिला।

निदेशक मण्डल

1.	श्रीमती मनजीत कौर	:	अध्यक्षा
2.	श्रीमती जुल्फीना बानो	:	निदेशक
3.	श्रीमती गीता बाई	:	निदेशक
4.	श्रीमती मंजू देवी	:	निदेशक
5.	श्रीमती अंजना कुमारी	:	निदेशक
6.	श्रीमती गीता देवी	:	अतिरिक्त निदेशक
7.	श्रीमती मुकेश देवी	:	अतिरिक्त निदेशक
8.	श्रीमती सुनीता देवी	:	अतिरिक्त निदेशक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री ब्रजेश नारायण सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्री धर्मेंद्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स कालानी एंड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, जयपुर

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स रे एंड रे चार्टर्ड एकाउण्टेंन्ट, मुंबई

कम्पनी सचिव

श्री सौरभ जैन

प्रबन्धक वित्त

श्री मयंक गोयल

बैंकर्स

बैंक ऑफ बड़ौदा, अलवर

एसबीआई बैंक, अलवर

कोटक महिन्द्रा बैंक, अलवर

आईडीबीआई बैंक, अलवर

रजिस्टर्ड कार्यालय

प्लॉट संख्या 8–बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर (राज.) – 301002

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशकों की रिपोर्ट	1
2.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	10
3.	वित्तीय खाते और उनके नोट्स तथा लेखांकन नीतियाँ	19
4.	चौथी वार्षिक आम बैठक के (कार्यवृत्त) मिनिट्स	38
5.	पाँचवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	43
6.	वर्ष 2020 – 2021 के लिए बजट	51
7.	प्रॉक्सी फॉर्म	52
8.	प्राप्ति रसीद	53
9.	उपस्थिति पर्ची	54

(नोटः– हिंदी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।)

निदेशकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए:–

निदेशकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ वर्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मार्च 2016 को राजस्थान राज्य में किया गया जो सदस्यों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च 2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए कम्पनी का वित्तीय प्रदर्शन संक्षिप्त में निम्न प्रकार दिया गया है–

राशि रूपये में

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल राजस्व	**1,379,774,494**	**533,400,326**
कुल खर्च	**1,336,215,248**	**518,537,763**
पूर्व अवधि आईटम	**2,15,992**	—
कर के पूर्व लाभ / (हानि)	**43,343,254**	**14,862,564**
कर व्यय	9,806,644	3,095,023
कर के पश्चात लाभ / (हानि)	**33,536,610**	**11,767,541**
सीमित प्रतिफल (लाभांश)	21,58,624	10,63,790
सामान्य संचय में हस्तान्तरण	31,377,986	10,703,751

कम्पनी के संचालन का विवरण –

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 5320.47 लाख से बढ़कर 13767.26 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रूपये 5185.37 लाख की तुलना में वृद्धि के साथ रूपये 13362.15 लाख रहे हैं। परिणामस्वरूप कर से पूर्व लाभ पिछले वर्ष में 148.63 लाख की तुलना में, 433.43 लाख रुपये और कर के पश्चात शुद्ध लाभ पिछले वर्ष में 117.67 लाख की तुलना में 335.36 लाख हो गए हैं। समता अंश का प्रति अंश अंकित मूल्य 100 रूपयें था जो अब 223.29 रूपये हो गया है।

सीमित लाभांश

निदेशक मण्डल को रूपये 8/— प्रति समता अंश की दर से कुल रूपये 21,58,624/— सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2020 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण

कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 12 के साथ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने रूपये 3,13,77,986/— की राशि को बैलेन्स—शीट में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन की समीक्षा

दुग्धसंकलन

कम्पनी दुग्धसंकलन का संचालन दो एमसीसी और एक बीएमसी लोकेशनों के माध्यम से अलवर, भरतपुर और झुंझुनू जिले के 300 गाँवों में कर रही है। इसके अलावा, कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरू जिले के 300 गाँवों में दुग्ध का संकलन प्रारम्भ किया है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 274.03 लाख लीटर तरल दुग्ध का संकलन किया है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कम्पनी के पहले डेयरी उत्पाद के रूप में ''सखी डेयरी'' नाम से ''सखी घी'' लॉन्च किया।

इसके अलावा, कम्पनी ने दुग्ध की आपूर्ति से सम्बन्धित सभी विवरण सदस्यों को दिखाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी तैयार की है।

वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा संगठन में एकीकृत योजना को सक्षम करने, दैनिक दुग्ध की खरीद, सदस्यता प्रबन्धन, शेयरधारिता विवरण जैसे डाटा की विशाल मात्रा के प्रबन्धन के लिए लागत प्रभावी एकीकृत ईआरपी सॉफ्टवेयर लागू किया गया।

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास 16,980 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में सदस्यता में वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार सदस्यों ने कम्पनी के कार्यों में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कम्पनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के परस्पर सहयोग और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतम शिखर तक पहुँच जायेगा।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

गुणवत्तापूर्ण पहल —

सभी बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) और मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी), जिनका उपयोग किया जा रहा है, कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित हैं। कम्पनी के

संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कम्पनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी सम्बन्धितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे दुग्ध की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 126 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3402 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। हम खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने की योजना बना रहे हैं और पहले ही एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। हम प्रेषण केंद्र पर सभी जावक टैंकरों की टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं।

उत्पादकता बढ़ाने हेतु सेवाऐं–

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम

कम्पनी के संचालन क्षेत्र में, उत्पादक पुरानी भोजन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर भोजन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम के तहत 1515 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान(AI) सेवाऐं –

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकत्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 12167 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 43 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

बाँझपन उपचार शिविर–

क्यों कि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल 210 बाँझपन उपचार शिविर में 5445 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 1263 मवेशियों को एनेस्ट्रेस ;दमेजतवनेद्ध से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 487 मवेशी ठीक हो गए हैं।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट :–

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है । यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए,समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुग्ध उत्पादक मवेशियों के लिए कुल 7014 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 108 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज किया गया एवं इन्हें ठीक किया गया।

पशु आहार –

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 944 मैट्रिक टन की तुलना में 2366 मैट्रिक टन पशु आहार का विक्रय किया जोकि 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया।

खनिज मिश्रण–

कम्पनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 10.33 मैट्रिक टन की तुलना में 20.14 मैट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया, जोकि 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया।

उत्पादक संस्था विकास–

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्यता केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूत करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्य के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत –

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल महिला सदस्यों के साथ प्रतिबंधित किया गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एवं प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है।इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मैचिंग शेयर कैपिटल में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कॉन्टैक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्यों और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्यों की शिकायतों का समाधान हो सके।

कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म–निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यवसायिक संचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहार और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम–

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न थे –

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	निदेशक मंडल के लिए व्यवसाय और शासन रणनीति कार्यशाला	1	11
2.	निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए शैक्षिक भ्रमण	1	4
3.	कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	9	131
4.	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	126	3402
5.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	187	5049
6.	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	2	56
7.	ग्रामीण स्कूली बच्चों का जागरूकता कार्यक्रम	5	254
8.	ओरिएंटेशन कार्यक्रम (वीसीजी)	24	318
9.	ओरिएंटेशन कार्यक्रम (एमआरजी)	12	318

इस महामारी को देखते हुए कर्मचारियों और सदस्याओं का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सबसे अधिक जाहिर और महत्वपूर्ण बात यह है इसलिए भीड़ से बचने के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन जूम (ZOOM) जैसे ऑनलाईन प्लेटफॉर्म से किया गया।

वर्ष के दौरान कंपनी ने समुन्नति द्वारा माह अक्टूबर, 2019 में आयोजित पुरस्कार श्रेणी में भाग लिया और कम्पनी को उत्तरी क्षेत्र में श्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए पुरस्कार मिला तथा कम्पनी को जनवरी, 2020 में एग्रीकल्चर टूडे द्वारा आयोजित डेयरी स्टार्ट–अप पुरस्कार मिला।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सामग्री में परिवर्तन–

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष होने के बाद सामग्री/आवश्यक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन–

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर कैपिटल और सदस्यता–

31 मार्च, 2020 तक प्रदत्त अंश पूंजी 269.828 लाख थी जिसमें 16980 सदस्य थे।

31 मार्च, 2020 तक, प्रदत्त अंश पूंजी 269.828 लाख रूपये थी, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में 100/–रूपये वाले 2,69,828 इक्विटी शेयर और 16,980 सदस्य शामिल थे। 31 मार्च, 2020 के बाद, कम्पनी ने 7,612 नए सदस्यों को नामांकित किया जिनका शेयर कैपिटल 62,43,800 रुपये है और इसलिए, इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्यों की कुल संख्या 24,592 है तथा जिनका शेयर कैपिटल 3,32,26,600 रुपये है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति–

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। वोट का अधिकार हर उस सदस्य को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2019–20 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

निदेशक मण्डल–

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री बलजिंदर सिंह और श्री ब्रजेश नारायण सिंह को क्रमश 4 जुलाई, 2019 और 24 मार्च, 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी का विशेषज्ञ निदेशक नियुक्त किया गया है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में श्रीमती मंजू देवी और श्रीमती गीता बाई आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी। तथा पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं।

श्रीमती प्रियंका यादव और श्रीमती रचना शर्मा ने वर्ष के दौरान निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है और श्रीमती मुकेश देवी, श्रीमती सुनीता देवी और श्रीमती गीता देवी को वर्ष के दौरान अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण–

वर्ष के दौरान, निदेशकों के लिए जयपुर में 48 वें आईडीए सम्मेलन (IDA Conference) के लिए एक शैक्षिक यात्रा की व्यवस्था की गई थी ताकि उन्हें डेयरी व्यवसाय और दुग्ध उत्पादक कम्पनी का बेहतर परिपेक्ष्य दिया जा सके।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण–

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं –

क. वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

ग. कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

अंकेक्षक–

मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, जयपुर, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुनःनियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (1बी) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

निदेशक मण्डल मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, जयपुर को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा अंकेक्षण–

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है जोकि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करतेरहते है।

मानव संसाधन–

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च्व प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी–

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य संचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है।

हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईबीपी फैसिलिटेटर्स को सदस्यों के रियल टाइम पोरिंग डेटा के साथ अपडेट रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।

वर्ष के दौरान, कम्पनी के द्वारा एक लागत प्रभावी एकीकृत (ईआरपी) सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया।

कर्मचारियों का विवरण–

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

सुरक्षा और स्वास्थ्य–

हमारी कम्पनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हमेशा ध्यान दिया जाता है, विशेषकर उन लोगों पर जो दुग्ध के सीधे संपर्क में रहते हैं। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जाँच एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(E) के अनुसार विशेष रूप से प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक है। जोकि निदेशक मंडल के नियम 1988 के साथ पढे जाते हैं।

अ. कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।
ब. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय – शून्य, निकासी – शून्य

बैठकें –

वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की पाँच (5) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 31.05.2019, 15. 07.2019, 17.09.2019, 31.12.2019 और 24.03.2020 को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण –

यह विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले नोट्स में दिखाई देता है।

सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण–

सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था आर्म्सलैन्थ प्राईस के आधार पर की जाती है। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट्स के नोट संख्या 30 पर दिखाई देता है।

जोखिम प्रबन्धन नीति–

आंतरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

जमा–

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कोई जमा नहीं हुए।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण–

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

आभार–

निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं होता।

वास्ते निदेशक मण्डल

मनजीत कौर
अध्यक्षा

दिनांक – 20/10/2020
स्थान – अलवर

Sakhi

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यागण,

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,

राय

हमने सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल है और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है। (जिन्हें यहाँ वित्तीय विवरण के रूप में सम्बोधित किया गया है।)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, "अधिनियम " द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है जैसे कि नीचे ''राय के आधार'' पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाएं देते है।

राय के आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (ICAI) की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार (धारा 2013 के तहत अधिसूचित दिनांक 30–01–2019 से प्रभावी अधिसूचना जरिये अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 1/1/2019–सीएलआई दिनांक 30–01–2019) कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान किसी उत्पादक कम्पनी पर इस तरह से लागू होंगे जैसे कि प्रोड्यूसर कम्पनियों के लिए विशेष अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है।

उपर्युक्त को छोड़कर, उत्पादक कम्पनियों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। इस प्रकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर इस तरह से लागू होते हैं जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 को निरस्त नहीं किया गया है। तदनुसार, एक अंकेक्षण कराया गया है और कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की गई है, विशेष रूप से धारा 581ZG, और अंकेक्षण पर मानकों की मौजूदा आवश्यकता का पालन करते हुए इस प्रकार की गई है जैसे कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में, कम्पनी अधिनियम, 1956 को ''अधिनियम'' और कम्पनी अधिनियम, 2013 को नया अधिनियम कहा गया है, दोनों को एक साथ अधिनियम के रूप में सम्बोधित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट –

कम्पनी का निदेशक मण्डल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है।

अपेक्षा है कि उपरोक्त चिन्हित 'अन्य सूचना' हमें इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथी के बाद उपलब्ध करा दी जायेगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से अंसगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही भी की जावे।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व –

नए अधिनियम, (अधिनियम) की धारा 134(5) (अधिनियम की धारा 215, 216 व 217 के अनुसार) में वर्णित विषयों एवं अधिनियम की धारा 133 (अधिनियम की धारा 211(3C) के अनुसार) में वर्णित लेखा मानकों (अकांउटिंग स्टैण्डर्ड) को कम्पनीज़ (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के सन्दर्भ में तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व –

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम –

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखाकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।
- वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कम्पनी की वित्तीय जानकारी के बारें में पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करते है। हम ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण की देख–रेख, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है, जिन वित्तीय विवरणों के लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक है।

भौतिकता वितीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते है,

(1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन मे मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

(2) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट –

1. कम्पनी एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जो ''अधिनियम'' के भाग IXA के तहत एक प्रोड्यूसर कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। जैसा कि कम्पनियों (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा ''नए अधिनियम'' की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, और कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँचों के आधार पर जैसा कि हमने उचित माना और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, **अनुलग्नक – अ** में दिया है। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, लागू सीमा तक, जो ''नए अधिनियम'' की धारा 465 के तहत निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए इस प्रकार तैयार किया गया है, ताकि ''अधिनियम'' के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया जाये।
2. जैसा कि ''नए अधिनियम'' की धारा 143 (3) (''अधिनियम'' की धारा 227 (3) के अनुरूप है, हम रिपोर्ट करते हैं कि –
    a. हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।
    b. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।
    c. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
    d. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 13 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।
    e. 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2020 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक ''नए अधिनियम'' की धारा 164(2) (अधिनियम की धारा 274 (1) (जी) के अनुरूप) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।
    f. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट **''अनुलग्नक ब''** को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।
    g. अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतू अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राईवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जोकि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नही होती है।
    h. कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार –

        1. कम्पनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
        2. कम्पनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई सामग्री निकट नुकसान था।
        3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
3. जैसा कि ''अधिनियम'' के भाग IXA की धारा 581ZG द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि –
    a. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि नोट नंबर 14 में वित्तीय विवरणों के रूप में बताई जाती है । हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के मुताबिक, किसी भी कर्ज को रिकवरी का संदिग्ध नहीं माना जाता है ।
    b. हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांच की गई खातों की पुस्तकों के अनुसार, न तो कम्पनी के पास वर्ष के अंत में नकदी थी और न ही कम्पनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश रखती है ।
    c. 31 मार्च, 2020 को परिसम्पत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।

d. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने ऐसा कोई लेन–देन निष्पादित नहीं किया है जो अधिनियम के भाग IXA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है।
e. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।
f. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
तिथि– 26 अगस्त, 2020
UDIN: 20416293AAAABB1056

Sakhi

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – "अ"

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 1 के तहत संदर्भित।

i. कम्पनी की अचल सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में –
   क. कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
   ख. जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित है, जो कम्पनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।
   ग. हमारे सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अचल सम्पत्ति कम्पनी द्वारा आयोजित नहीं की जाती है।

ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

iii. कम्पनी ने नए अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टी को कोई असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है। इसलिए, उक्त भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

iv. कम्पनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है, कोई निवेश नहीं किया है और ना ही गारंटी प्रदान की है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi. केन्द्र सरकार ने नए अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का निर्धारित नहीं किया है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii.
   क. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भविष्य निधि सहित निर्विवाद सांविधिक देयों के संबंध में खातों की पुस्तकों में काटी गई/अर्जित राशि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय (लागू के रूप में) आम तौर पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ जमा किया गया है और 31 मार्च 2020 को उनके द्वारा भुगतान की गई तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद सांविधिक बकाया नहीं है।
   ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, माल और सेवा कर या विवाद के तहत मूल्य वर्धित कर का कोई अवैतनिक बकाया नहीं है ।

viii. हमें दिए गए खातों की पुस्तकों और सूचना और स्पष्टीकरण की जांच के आधार पर, कम्पनी ने बैंकों को ऋण या उधार चुकाने में चूक नहीं की है । कम्पनी ने सरकार या वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix. कम्पनी ने टर्म लोन के माध्यम से ऋण साधन या धन सहित आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है, इसलिए ऑर्डर के इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा कोई सामग्री धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी पर किसी भी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi. नए अधिनियम की अनुसूची पंचम के साथ पढ़ी गई धारा 197 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं, जो एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है। इसलिए इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii. कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है, इसलिए आदेश के इस भाग के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षा के आधार पर, कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ जहां भी लागू हो, नए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का पालन किया

है । संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के विवरण को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में बताया गया है।

xiv. कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के तहत एक प्रोड्यूसर कम्पनी के रूप में पंजीकृत है और इसलिए आदेश के भाग (xiv.) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xv. कम्पनी ने ''नए अधिनियम'' की धारा 192 के प्रावधानों के तहत निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
तिथि– 26 अगस्त, 2020
UDIN: 20416293AAAABB1056

Sakhi

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवदेन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – "ब"

हमारी तिथि को सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अंकेक्षण रिपोर्ट 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ – 2(f) में निर्दिष्ट।

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (1) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व –

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागू करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्बक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नही है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्वांतों के अनुसार बाहय उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी

की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नही लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2020 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान (ICAI) द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 000722C

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान – जयपुर
तिथि– 26 अगस्त, 2020
UDIN: 20416293AAAABB1056

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

अ. कम्पनी के बारे में

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 19 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के तहत एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दुग्ध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढानें हेतु प्रजनन, पशु–आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुडी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवायें प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर और झुन्झुनु जिले के गाँवों में दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से सदस्याओं से सीधे दूध खरीद कर डेयरियों को बेचती है। कम्पनी पशुओं के चारे का भी व्यवसाय करती है।

ब. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैः

1. लेखांकन का आधारः

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कम्पनी अधिनियम, 2013 ("नया अधिनियम")/कम्पनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") से संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 465 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार (अधिसूचित धारा 30.01.2019 से प्रभावी जरिये अधिसूचना संख्या फाईल सं. 1/1/2019–सीएल–I दिनांक 30–01–2019) कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के प्रावधान उत्पादक कम्पनी पर जरूरी परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जब तक कि कम्पनी अधिनियम 1956 को निरस्त कर प्रोड्यूसर कपंनी के लिए कोई अन्य विशेष अधिनियम लागू नही कर दिया जाता। कम्पनी अधिनियम 2013 में प्रोड्यूसर कंपनियों के संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नही हैं। कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू हैं जैसे कि कम्पनी अधिनियम 1956 को निरस्त नही किया गया है।

कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों का सदैव पालन किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

भारतीय जीएएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते है और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

3. स्टॉक का मूल्यांकनः

स्टॉक का मूल्यांकन अप्रचलित एवं अन्य क्षतियों (जहां भी आवश्यक लगे) को छोडकर न्यूनतम एवं शुद्ध

वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आये–पहले जाये (FIFO Method) पद्धति के आधार पर किया जाता है। लागत में स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान एवं दशा में लाने के लिए होने वाले सभी खर्चों को शामिल कर किया जाता है। छोटे उपकरण, रसायन तथा उपभोग्य सामग्री को खरीदने पर उन्हें उपभोग के अंतर्गत माना जाता है।

4. रोकड प्रवाह विवरणः

रोकड प्रवाह, लेखा मानक (AS-3) में रोकड प्रवाह के बारे में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है जिससे विशेष मदों से पूर्व लाभ/(हानि) एवं कर का समायोजन गैर–नकदी लेनदेनों तथा कोई भी गत अथवा भावी आस्थगित या उपार्जन रोकड प्राप्तियों या भुगतानों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

कम्पनी के व्यवसाय, विनियोग और वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह का बंटवारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। रोकड प्रवाह के प्रयोजन से रोकड में हस्तगत रोकड तथा बैंक में मांग जमायें सम्मिलित है। रोकड तुल्य अल्पकालीन शेष (प्राप्ति की तिथि से 3 माह या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल विनियोग जिन्हें कभी भी नकदी में परिवर्तित किया जा सकता हैं और जिनके मूल्यों में परिवर्तन की संभावना नगण्य है।

5. आय की पहचानः

बिक्री में से बिक्री वापसी का समायोजन करके तथा व्यापारिक बट्टे माल के स्वामित्व जैसी महत्वपूर्ण जोखिमों एवं पुरस्कार के हस्तांतरण को ग्राहकों को हस्तांतरित किया जाता है जो कि आमतौर पर ग्राहकों द्वारा/माल की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति से मेल खाते है।

6. अन्य आयः

जमाओं पर ब्याज की आय और सदस्यों से प्रवेश शुल्क को उपार्जित आधार पर चिन्हित किया गया है।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) का लेखांकन

अ) मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने है), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

ब) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्यः

ऐसी संपत्तियों जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें प्रत्यक्ष लागत और उससे संबंधित आकस्मिक व्यय और लागू होने वाला ब्याज शामिल है।

ग) मूल्य ह्रास एवं परिशोधनः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से संपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुसार संपत्ति की प्रकृति, प्रबन्धकों द्वारा अनुमानित सम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल, सम्पत्ति की चालू स्थिति, प्रतिस्थापन का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौद्योगिकी आश्वासन एवं रखरखाव

सहयोग आदि के आधार पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास लगाने के लिए उपयोगी जीवन निम्न प्रकार हैः–

विवरण	उपयोगी जीवन (वर्षों में)
प्लांट एवं मशीनरी	10
दूध के कैन	4
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
ऑफिस उपकरण	10
कम्प्यूटर्स एवं प्रिंटर्स	3
अमूर्त संपत्तियां	3

मूल्य ह्रास का आंकलन खरीद की तिथी से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

8. अनुदान का लेखांकनः

सरकारी अनुदान एवं रियायत को तब मान्यता दी जाती है जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ जुडी हुई शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य–ह्रास संबधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य हास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता हैं।

9. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

अ. निर्धारित योगदान योजनायें

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

ब. निर्धारित लाभ योजनायें

गेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ – हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

स. अल्प–कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं

अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की सभांवना है।

द. दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

10. लीज़ का लेखांकन –

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालन लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

11. प्रति शेयर आय –

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर के पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर लेखांकन मानकों (AS-20) के अनुसार किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर के पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

12. आय पर कर –

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (190) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है। स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर–शोषित–मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुऐ भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

13. परिसंपत्तियों की क्षति से हानि –

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से

अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम करके लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां –

प्रावधान की पहचान उन देयताओं के लिए की जाती है, जिन्हें केवल अनुमान की पर्याप्त डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है –

i. पूर्वकालिक घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है।
ii. संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बर्हिगमन होगा।
iii. दायित्व की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है।
iv. किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति की मान्यता तभी दी जाती है जब यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

आकस्मिक देयता तभी दर्शाई जाती है –

क) एक वर्तमान दायित्व एक अतीत की घटना से उत्पन्न हो रहा है, जब यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक हो जाए।
ख) एक संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना दूरस्थ न हो, आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही दर्शाई जाती हैं।

15. संचालन चक्र –

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

16. सामान्य –

लेखांकन नीतियाँ आम तौर पर स्वीकार की गई हैं लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और लगातार लागू की गई हैं।

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए चिट्ठा

(राशि रूपयों में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
I.	**समता एवं दायित्व**			
1	**अंशधारकों का कोष**			
	(अ) अंश पूंजी	1	26,982,800	11,030,100
	(ब) संचित एवं अधिशेष	2	49,421,999	16,949,179
2	**आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि**		3,120,400	1,978,500
3	**स्थगित अनुदान**	3	51,698,934	44,991,668
4	**गैर–चालू दायित्व**			
	(अ) अन्य दीर्घकालीन दायित्व	4	11,843,900	6,860,000
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	5	1,572,638	802,149
5	**चालू दायित्व**			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	6	94,170,133	62,871,676
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	7		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि			
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		52,546,526	24,912,910
	(स) अन्य चालू दायित्व	8	27,144,609	22,162,863
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	9	5,503,416	1,156,461
	योग		**324,005,355**	**193,715,505**
II.	**संपत्तियाँ**			
1	**गैर–चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) संपत्ति, प्लांट और उपकरण	10		
	(i) मूर्त संपत्तियाँ		43,066,585	38,949,170
	(ii) अमूर्त संपत्तियाँ		30,052	49,858
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		9,114,585	6,051,640
	(ब) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	11	454,612	232,460
	(स) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12	37,500	34,500
2	**चालू संपत्तियाँ**			
	(अ) स्टॉक	13	4,278,184	4,565,053
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	14	160,355,653	103,355,121
	(स) रोकड एवं रोकड तूल्य	15	94,537,472	29,057,109
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	11,067,627	10,889,016
	(य) अन्य चालू संपत्तियाँ	17	1,063,084	531,577
	योग		**324,005,355**	**193,715,505**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों के नोट्स	A-C		

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN:08157328

(सौरभ जैन)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख

स्थान : अलवर दिनांक : 25.08.2020

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000722सी

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि को लाभ–हानि का विवरण

(राशि रू. में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व	18	1,376,726,200	532,047,165
अन्य राजस्व	19	3,048,293	1,353,161
कुल राजस्व		**1,379,774,494**	**533,400,326**
व्यय:			
व्यवसाय में लगे स्टॉक की खरीद एवं अन्य संबंधित व्यय	20	1,228,373,336	467,330,170
परिचालन व्यय	21	65,823,575	30,251,042
व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	22	286,869	(3,402,055)
कर्मचारियों के लाभों संबंधित व्यय	23	12,669,187	8,064,697
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधित व्यय	10	69,339	-
वित्तीय लागतें	24	5,410,394	3,146,695
अन्य व्यय	25	23,582,548	13,147,213
कुल व्यय		**1,336,215,248**	**518,537,763**
पूर्व अवधि समापन एवं कर पूर्व लाभ		**43,559,246**	**14,862,564**
गत अवधि की मदें	26	215,992	-
कर पूर्व लाभ		**43,343,254**	**14,862,564**
कर व्यय:			
(1) चालू कर		10,030,000	3,210,000
(2) गत वर्ष का कर		(1,204)	(3,462)
(3) आस्थगित कर व्यय/(आय)		(222,152)	(111,515)
शुद्ध कर व्यय		9,806,644	3,095,023
वर्ष का लाभ/(हानि)		**33,536,610**	**11,767,541**
प्रति समता अंश आय	27		
समता अंश 100 रूपये प्रति अंश			
(1) मूल		223.29	216.72
(2) डायल्यूटेड		222.64	213.90
प्रति अंश आय में प्रयोग किये गये अंशों की संख्या			
(1) मूल		150,194	54,297
(2) डायल्यूटेड		150,631	55,014
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं वित्तीय विवरणों के नोट्स	A-C		

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN:08157328

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 000722सी

(सौरभ जैन)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान : अलवर   दिनांक : 25.08.2020

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण।

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	विवरण	राशि	विवरण	राशि
अ) प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
लाभ–हानि विवरण के अनुसार कर से पूर्व शुद्ध लाभ के लिए समायोजनः		43,343,254		14,862,564
वित्त लागत	5,410,394		3,146,695	
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधित व्यय	69,339		-	
स्थायी संपत्तियों के विक्रय से लाभ	(11,303)		(6,852)	
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	793,931		462,613	
प्राप्त ब्याज	(1,734,722)		(960,004)	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ समायोजन के लिए :	4,527,639		2,642,452	
अन्य दीर्घकालीन दायित्वों में वृद्धि / (कमी)	4,983,900		3,330,000	
अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि / (कमी)	31,298,457		15,226,317	
व्यावसायिक देयताओं में वृद्धि / (कमी)	27,633,616		15,011,169	
चालू दायित्वों में वृद्धि / (कमी)	4,981,746		6,412,744	
स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	286,869		(3,402,055)	
व्यावसायिक प्राप्यों में वृद्धि / (कमी)	(57,000,532)		(45,658,213)	
अन्य चालू संपत्तियों में वृद्धि / (कमी)	(531,507)		(331,999)	
अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	**(178,611)**		(10,796,286)	
दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(3,000)		-	
परिचालन एवं प्रयुक्त से अर्जित रोकड़	**15,998,578**		(17,565,870)	
शुद्ध आय कर भुगतान	5,705,283		3,087,606	
प्रयुक्त / परिचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)		**53,636,548**		**(5,790,913)**
ब) विनियोगात्मक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
बैंक शेष में कमी / (वृद्धि), रोकड़ एवं रोकड़	(78,655,171)		2,270,171	
पीपीई की खरीद (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(522,627)		(59,000)	
पीपीई की बिक्री (शुद्ध हस्तांतरित अनुदान)	11,303		7,912	
ब्याज की आय	1,734,722		960,004	
विनियोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (ब)		**(77,431,773)**		**3,179,087**
स) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह				
अंश पूंजी से प्राप्तियाँ (समता अंशों का निर्गमन)	13,974,200		6,317,628	
आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि	3,120,400		1,978,500	
सीमित आय / प्रदत्त लाभांश	(882,408)		(351,592)	
उपरोक्त सीमित आय / लाभांश पर कर	(181,382)		(72,271)	
वित्तीय लागत	(5,410,394)		(3,146,695)	
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (स)		**10,620,416**		**4,725,570**
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध वृद्धि / कमी		(13,174,809)		2,113,744
रोकड एवं रोकड तुल्य का प्रारम्भिक शेष		23,627,281		21,513,537
रोकड एवं रोकड तुल्य का अंतिम शेष		**10,452,472**		**23,627,281**

रोकड प्रवाह विवरण के नोट्स

1.रोकड प्रवाह विवरण बनाते समय लेखा मानक 3 के खण्ड 18 में उल्लेखित अप्रत्यक्ष विधि को अपनाते हुए रोकड प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

2. रोकड एवं रोकड तुल्य में सम्मिलित है

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अ)हस्तगत रोकड	-	-
ब)बैंक शेष		
–चालू खाते–	6,828,534	4,863,564
–बचत खाता	1,715,477	1,553,717
–जमा खाते	1,908,461	17,210,000
TOTAL	**10,452,472**	**23,627,281**

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

(मनजीत कौर)
अध्यक्षा
DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
DIN: 07563916

(अंजना कुमारी)
निदेशक
DIN:08157328

(सौरभ जैन)
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या 45759

(मयंक गोयल)
वित्त प्रमुख

वास्ते कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000722सी

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

स्थान : अलवर   दिनांक : 25.08.2020

स. वित्तीय विवरणों के नोट्सः
अंशधारकों का कोषः

नोट संख्या 1: अंश पूंजी **(राशि रूपयों मे)**

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अधिकृत अंश पूंजी		
प्रति अंश 100 रूपये के 500,000 (पिछले साल 500,000) समता अंश	50,000,000	50,000,000
निर्गमित, सब्सक्राईब एवं चुकता अंश पूंजी		
पूर्ण प्रदत्त 100 रूपये मूल्य के 2,69,828 (पिछले साल 110,301)समता अंश	26,982,800	11,030,100
	26,982,800	**11,030,100**

नोट्सः

(i) अंशों से संबंधित अधिकार, प्राथमिकतायें एवं प्रतिबंध

कम्पनी के पास 100 रूपये अंकित मूल्य के एक ही श्रेणी के अंश हैं। कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य को आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर एक वोट का अधिकार है। सदस्य कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार सीमित आय (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कम्पनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) बकाया समता अंशों की संख्या का मिलानः

विवरण	2019-20	2018-19
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया अंश	110,301	43,949
(+)वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	159,527	66,352
(-)वर्ष दौरान वापस खरीदे गये अंश	-	-
वर्ष के अंत में बकाया अंश	**269,828**	**110,301**

(iii) कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग IX-A के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में पंजीकृत है और कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास 5% से अधिक अंश पूंजी नही है।

नोट संख्या 2 : संचित एवं अधिशेष **(राशि रूपयों मे)**

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
अ) सामान्य संचय		
प्रारम्भिक शेष	15,885,389	5,181,638
जोड़ें: वर्ष के दौरान अधिशेष से हस्तांतरण *	31,377,986	10,703,751
अंतिम शेष	**47,263,375**	**15,885,389**
ब) अधिशेष		
प्रारम्भिक शेष	1,063,790	423,863
(+)कर के बाद लाभ हानि विवरण से हस्तांतरित शुद्ध लाभ	33,536,610	11,767,541
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	34,600,400	12,191,404
(-) 31 मार्च 2018 को सदस्यों को अंतिम सीमित लाभ (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	-	351,592
(-)31 मार्च 2019 को सदस्यों को अंतिम सीमित लाभ (लाभांश) (8 रूपये प्रति अंश)	882,408	-
(-)उपरोक्त सीमित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)	181,382	72,271
(-)सामान्य संचय में हस्तांतरित*	31,377,986	10,703,751
अंतिम शेष	**2,158,624**	**1,063,790**
योग	**49,421,999**	**16,949,179**

कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.10 में वर्णित प्रावधानों सपठित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI के अनुसार निदेशक मंडल ने रूपये 3,13,77,986 रूपये की राशि को सामान्य संचय में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया है।

निदेशकों ने अपनी 25.08.2020 की बैठक में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष को सीमित लाभ (लाभांश) के संदर्भ में पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर 21,58,624 रूपये (8 रूपये प्रति अंश) की राशि के भुगतान का प्रस्ताव रखा है। अंशधारकों द्वारा वार्षिक आम सभा में लाभांश अनुमोदन करने पर निर्भर करेगा और इसे लेखा मानक–4 के अनुसार "चिट्ठे की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिक घटनाओं" 31.03.2020 को वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है।

(राशि रूपयों मे)

नोट संख्या 3 : आस्थगित अनुदान

Particulars		31.03.2020 को	31.03.2019 को
प्रारम्भिक शेष		44,991,668	20,226,641
(+)अवधि के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान	(नोट 32 देखें)	13,608,915	29,509,165
(-)आयगत अनुदान को हस्तांतरण	(नोट 26 देखें)	-	194,234
(+)मूल्य ह्रास और मिलावट किट का प्रभाव	(नोट 26 देखें)	-	23,142
(-)अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री/वसूली का प्रभाव		17,040	-
(+)चालू वर्ष में बेचे गये पीपीई पर मूल्य ह्रास का प्रभाव	(नोट 32 देखें)	-	18,716
(+)बेचे गये पीपीई पर लाभ के लिए गत अवधि का प्रभाव	(नोट 32 देखें)	-	1,060
(-)अनुमति नहीं दिये गये अनुदान	(नोट 32 देखें)	200,787	-
(+)उपरोक्त अनुमति नही दिये गये अनुदान पर लागू होने वाल मूल्य ह्रास का प्रभाव	(नोट 10 देखें)	18,255	-
(-)पूंजीगत अनुदान से खरीदे गये पीपीई पर मूल्य ह्रास	(नोट 10 देखें)	6,702,077	4,592,823
अंतिम शेष		**51,698,934**	**44,991,668**

गैर चालू दायित्व

नोट संख्या 4 : अन्य दीर्घकालीन दायित्व (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
सहायक एवं अन्य से जमा प्रतिभूति	11,843,900	6,860,000
योग	**11,843,900**	**6,860,000**

नोट संख्या 5 : दीर्घकालीन प्रावधान (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	**2019-20**	**2018-19**		
(i)ग्रेच्युटी	664,406	324,858		
घटायेः अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण (नोट संख्या 9 देखें)	12,216	5,973	652,190	318,885
(ii)लीव इनकेशमेंट	956,181	501,798		
घटायें : अल्पकालीन प्रावधानों में हस्तांतरण(नोट संख्या 9 देखें)	35,733	18,534	920,448	483,264
योग			**1,572,638**	**802,149**

***लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन** (राशि रूपयों में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट
प्रारम्भिक शेष	324,858	501,798	138,302	225,741
जोडियें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	393,318	552,051	212,413	317,138
योग	**718,176**	**1,053,849**	**350,715**	**542,879**
घटाईयः वर्ष के दौरान किये गये भुगतान	53,770	97,668	25,857	41,081
अंतिम शेष	**664,406**	**956,181**	**324,858**	**501,798**

चालू दायित्व

नोट संख्या 6 : अल्पकालीन ऋण (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
बैंक से असुरक्षित ऋण - कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की बिक्री बिल बट्टाकरण सुविधा * (अधिकतम प्रयोग 90 दिन और ब्याज 7.75 प्रतिशत)	94,170,133	62,871,676
Total	**94,170,133**	**62,871,676**

*उपरोक्त असुरक्षित ऋण की सुविधा बिना शर्त कम्पनी के थोक दुग्ध क्रेताओं द्वारा माल के व्यावसायिक विक्रय बिलों, बिल ऑफ एक्सचेंज की स्वीकृति से समर्थित एवं सुरक्षित है। (नोट संख्या 14 भी देखें "व्यावसयिक प्राप्य")

नोट संख्या 7 : व्यावसायिक देयतायें (राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
माल व सेवाओं की व्यावसायिक देयतायें		
सूक्ष्म व लघु उद्यमों को देय *	-	-
अन्य	52,546,526	24,912,910
योग	**52,546,526**	**24,912,910**

*प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act.) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (MSMED Act.) में पंजीकृत नही है इसलिए कम्पनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नही है।

नोट संख्या 8 : अन्य चालू दायित्व **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
देय खर्चे	10,760,271	7,764,230
अदत्त/अन्य दायित्व	1,552,660	865,795
वैधानिक दायित्व	1,061,109	514,740
ग्राहकों से अग्रिम	667,920	-
पूंजीगत माल के लिए देय	11,844,949	12,869,299
सदस्यों द्वारा अंशों के समर्पण के बदले देय *	1,257,700	148,800
योग	**27,144,609**	**22,162,863**

*कम्पनी के निदेशक मण्डल ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZD के अनुसार कुछ विशेष अंशधारकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनं समता अंशों को समर्पित करें क्योंकि वे कम्पनी अंतर्नियमों में उल्लेखित कम्पनी के सदस्यों के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार 12,577 अंश (पूर्व वर्ष 1,488 अंश) कम्पनी को इनके अंकित मूल्य रूपये 100 प्रति अंश पर समर्पित किये गये हैं और इन अंशों को दूसरे योग्य सदस्यों को उसी मूल्य पर पुनः जारी किया गया है।

नोट संख्या 9 : अल्पकालीन प्रावधान (राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2020 को	31.03.2019 को
कर्ममचारी लाभों के लिए प्रावघान (नोट संख्या 5 से लाये गये)				
(i)ग्रेच्युटी			12,216	5,973
(ii)लीव इनकेशमेंट			35,733	18,534
	2019-20	**2018-19**		
(iii)कर के लिए प्रावधान* (नोट नं. 9(i) देखें	10,030,000	3,210,000		
घटायें: अग्रिम कर एवं कोन्ट्रा के अनुसार टीडीएस	4,574,533	2,078,046	5,455,467	1,131,954
योग			**5,503,416**	**1,156,461**

***लेखा मानक 29 की अनुपालना में प्रावधानों में परिवर्तन** (राशि रूपयों में)

विवरण	आयकर	
	2019-20	**2018-19**
प्रारम्भिक शेष	3,210,000	2,160,000
जोडें: अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	10,030,000	3,210,000
योग	**13,240,000**	**5,370,000**
घटायें: अवधि के दौरान अपलिखित किये गये प्रावधान	1,204	3,462
घटायें: अवधि के दौरान किये गये भुगतान/समायोजन	3,208,796	2,156,538
अंतिम शेष	**10,030,000**	**3,210,000**

नोट संख्या 9 (i) : आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार उपलब्ध मेट क्रेडिट पात्रता को ध्यान में रखते हुए 2019–20 के लिए कर का प्रावधान किया गया है।

नोट संख्या 9 (ii) : गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80पीए के अंतर्गत कटौती के लाभ की लगभग 1,43,71,200 रूपये की राशि को ध्यान में रखते हुए गया था। कम्पनी द्वारा प्राप्त विशेषज्ञ राय के आधार पर कम्पनी ने अपनी इसके द्वारा संचालित गतिविधियों को धारा 80पीए के उद्देश्य से "पात्र व्यवसाय" माना है। वर्ष 2018–19 के लिए उपरोक्त मैट (Mat) क्रेडिट पात्रता 80पीए के कारण प्राप्त कटौती के आधार पर है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी का कुल व्यवसाय 100 करोड़ रूपये से अधिक का है इसलिए चालू वित्त वर्ष के लिए धारा 80पीए के तहत छूट नही है।

गैर–चालू संपत्तियां:

नोट संख्या 10: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	01.04.2019 को शेष	वर्ष के दौरान	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	31.03.2020 को शेष	31.03.2019 को शेष
1) मूर्त संपत्यिां										
प्लांट एवं मशीनरी	42,655,336	9,472,210	(15,503)	52,112,043	6,314,048	5,922,383	(5,463)	12,230,968	39,881,076	36,341,288
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,360,007	310,340	(7,000)	1,663,347	115,767	89,262	-	205,029	1,458,318.09	1,244,240
कार्यालय उपकरण	522,898	243,353	-	766,251	67,013	62,156	-	129,169	637,081.14	455,884
कम्प्यूटर्स	1,892,316	841,907	-	2,734,223	984,559	659,554	-	1,644,113	1,090,110	907,757
कुल मूर्त संपत्तियां (i)	**46,430,557**	**10,867,810**	**(22,503)**	**57,275,864**	**7,481,387**	**6,733,355**	**(5,463)**	**14,209,279**	**43,066,585**	**38,949,170**
ii) अमूर्त संपत्तियां :										
अमूर्त संपत्तियां	93,099	-	-	93,099	43,241	19,806	-	63,047	30,052	49,858
कुल अमूर्त संपत्तियां (ii)	**93,099**	**-**	**-**	**93,099**	**43,241**	**19,806**	**-**	**63,047**	**30,052**	**49,858**
iii) प्रगतिशील कार्य में पूंजी :										
मूर्त संपत्तियां										
समंक प्रसंस्करण दुग्ध संकलन इकाई	5,992,640	-	(4,213,575)	1,779,065	-	-	-	-	1,779,065	5,992,640
समंक प्रसंस्करण दुग्ध संकलन इकाई	-	6,360,000	-	6,360,000	-	-	-	-	6,360,000	-
आरएमआरडी डॉक ऑटोमेशन	-	916,520	-	916,520	-	-	-	-	916,520	-
स्वचालित दुग्ध संकलन इकाई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्तियां										
लोगो –	59,000	-	-	59,000	-	-	-	-	59,000	59,000
प्रगतिशील कार्य में कुल पूंजी (iii)	**6,051,640**	**7,276,520**	**(4,213,575)**	**9,114,585**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,114,585**	**6,051,640**
योग (i+ii+iii)	**52,575,296**	**18,144,330**	**(4,236,078)**	**66,483,548**	**7,524,628**	**6,753,161**	**(5,463)**	**14,272,326**	**52,211,222**	**45,050,668**
गत वर्ष	**23,201,365**	**46,636,149**	**(17,262,218)**	**52,575,296**	**2,973,914**	**4,592,823**	**(41,858)**	**7,524,628**	**45,050,668**	**20,227,700**

नोट (i) : मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय (राशि रूपयों में)

विवरण		2019-20	2018-19
मूर्त संपत्तियां		6,733,355	4,574,913
अमूर्त संपत्तियां		19,806	17,909
कुल मूल्य ह्रास		**6,753,161**	**4,592,823**
जोडें: अनुमति नही दिये गये अनुदान पर लगने वाले मूल्य ह्रास का समायोजन	(नोट 3 देखें)	18,255	-
अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों से जुडा मूल्य ह्रास	(नोट 3 देखें)	6,702,077	4,592,823
लाभ–हानि खाते में वसूल किया गया मूल्य ह्रास		**69,339**	**-**

नोट (i) : पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट संख्या 32 देखें) (राशि रूपयों में)

संपत्तियां	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	01.04.2019 को शेष	वर्ष के दौरान	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	31.03.2020 को शेष	31.03.2019 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	42,655,336	9,472,210	(189,183)	51,938,363	6,314,048	5,905,838	(22,866)	12,197,019	39,741,344	36,341,288
फर्नीचर एवं फिटिंग	1,360,007	264,320	(16,529)	1,607,798	115,767	86,190	(3)	201,953	1,405,845	1,244,240
कार्यालय उपकरण	522,898	234,753	(17,578)	740,073	67,013	59,928	(848)	126,092	613,980	455,884
कम्प्यूटर्स	1,892,316	574,687	-	2,467,003	984,559	630,316	-	1,614,875	852,128	907,757
अमूर्त संपत्तियां				-				-	-	
अमूर्त संपत्तियां	93,099	-	-	93,099	43,241	19,806	-	63,047	30,052	49,858
				-				-	-	
प्रगतिशील कार्य में पूंजी				-				-	-	
मूर्त संपत्तियां	5,992,640	7,276,520	(4,213,575)	9,055,585	-	-	-	-	9,055,585	5,992,640
								-		
योग	**52,516,296**	**17,822,490**	**(4,436,865)**	**65,901,921**	**7,524,628**	**6,702,077**	**(23,718)**	**14,202,987**	**51,698,934**	**44,991,668**

*** अनुमति नही दिये गये अनुदान का समायोजन सम्मिलित है (नोट संख्या 32 देखें)**

नोट (iii): स्वयं के कोष से खरीदी गई एवं उपरोक्त अनुसूची में सम्मिलित संपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है: **(राशि रूपयों में)**

सम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को शेष	वृद्धि	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	01.04.2019 को शेष	वर्ष के दौरान	(कटौती)/ समायोजन	31.03.2020 को शेष	31.03.2020 को शेष	31.03.2019 को शेष
मूर्त संपत्तियां										
संयंत्र एवं मशीनरी	-	-	173,680	173,680	-	16,545	17,404	33,949	139,731	-
फर्नीचर एवं फिटिंग	-	46,020	9,529	55,549	-	3,072	3	3,076	52,473	-
कार्यालय उपकरण	-	8,600	17,578	26,178	-	2,229	848	3,077	23,101	-
कम्प्यूटर्स	-	267,220	-	267,220	-	29,238	-	29,238	237,982	-
अमूर्त संपत्तियां				-				-		
अमूर्त संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-				-		
प्रगतिशील कार्य में पूंजी				-				-		
अमूर्त संपत्तियां				-				-		
लोगो –	59,000	-		59,000	-	-	-	-	59,000	59,000
योग	**59,000**	**321,840**	**200,787**	**581,627**	**-**	**51,084**	**18,255**	**69,339**	**512,288**	**59,000**

*अनुमति नहीं दिये गये अनुदान का समायोजन (नोट संख्या 32 देखें)

नोट संख्या 11 : आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)

आस्थगित कर शेष के मुख्य तत्वः **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
I) आस्थगित कर दायित्व (डीटीएल)		
लेखांकन और कर मूल्य ह्रास में अंतर	5,463	-
कुल डीटीएल (I)	**5,463**	**-**
II) आस्थगित कर संपत्तियां (डीटीए)		
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	184,838	84,463
लीव इनकेशमेंट हेतु प्रावधान	266,010	130,467
अस्वीकृत प्रारम्भिक व्यय	9,228	17,529
कुल डीटीएल (II)	**460,075**	**232,460**
अंतिम आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)	454,612	232,460
घटायें: प्रारम्भि आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)	232,460	120,945
लाभ हानि विवरण में वसूल/(जमा) किये गये शुद्ध आस्थगित कर व्यय	**(222,152)**	**(111,515)**

नोट संख्या 12 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित एवं उचित माने गये		
जमा प्रतिभूति	37,500	34,500
योग	**37,500**	**34,500**

नोट संख्या 13: स्टॉक

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
व्यापार में स्टॉक (Stock-in-Trade):		
-दुग्ध	1,257,667	1,606,591
-पशुओं का चारा एवं अन्य	1,114,755	744,291
स्टॉक इन ट्रांजिट		
-दुग्ध	1,905,763	2,214,172
योग	**4,278,184**	**4,565,053**

नोट संख्या 14: व्यावसायिक प्राप्य

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित और उचित माने गये *		
बिल का भुगतान देय होने की तिथी से 6 माह से अधिक समय से बकाया ऋण	3,113	-
अन्य ऋण	160,352,540	103,355,121
योग	**160,355,653**	**103,355,121**

*व्यावसायिक प्राप्यों से जुड़ी बिल डिसकाउंटिग सुविधा हेतु नोट संख्या 6 देखें

नोट संख्या 15: रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(अ) हस्तगत रोकड़	-	-
(ब) बैंकों में जमा		
चालू खातों में	6,828,534	4,863,564
बचत खातों में	1,715,477	1,553,717
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह या उससे कम)	1,908,461	17,210,000
(स) अन्य बैंक शेष		
जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक)	84,085,000	5,429,829
योग	**94,537,472**	**29,057,109**

नोट संख्या 15 (i): अन्य बैंक शेषों में स्थायी जमा राशि रूपये 1,00,25,000/—(पिछला वर्ष—15,000/—) शामिल है। अन्य बैंक शेष में वो जमायें शामिल हैं जिनकी परिपक्वता अवधि चिठ्ठे की तिथी से 12 माह है।

नोट संख्या 15(ii)स्थायी जमा राशि रूपये 10,000/— (पिछला वर्ष रूपये — शून्य) को कृषि उपज मंडी को मंडी कर के तहत पंजीयन के लिए बंधक रखा गया है।

नोट संख्या 16: अल्पकानील ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपयों में)

विवरण			31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित उचित माने गये	**2019-20**	**2018-19**		
स्रोत पर कर की कटौती	179,533	154,046		
अग्रिम आयकर	4,395,000	1,924,000		
घटायें: कोन्ट्रा के अनुसार कर का प्रावधान	4,574,533	2,078,046	-	-
सहायक की वसूली योग्य प्रोत्साहन राशि			133,792	136,193
धानी से प्राप्य अनुदान		(नोट संख्या 32 देखें)	10,933,835	10,752,823
योग			**11,067,627**	**10,889,016**

नोट संख्या 17: अन्य चालू संपत्तियां

(राशि रूपयों में)

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
असुरक्षित उचित माने गये		
कर्मचारियों को अग्रिम	1,362	40,630
पूर्व–प्रदत्त व्यय	319,336	397,549
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,800	12,020
ब्याज अर्जित परन्तु देय नहीं (एफडीआर पर)	740,586	81,378
योग	**1,063,084**	**531,577**

नोट संख्या 18: व्यवसाय से आय

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री		
–दुग्ध	1,323,186,038	513,391,746
– पशु–आहार एवं अन्य	53,540,162	18,655,419
योग	**1,376,726,200**	**532,047,165**

नोट संख्या 19 : अन्य आय

(राशि रूपयों में)

विवरण	चालू वर्ष 2019–20	गत वर्ष 2018–19	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
			-	-
बैंक जमाओं पर ब्याज की आय	1,824,216	1,643,698		
घटायें: अनुदान कोष पर अर्जित ब्याज नोट संख्या 32 को हस्तांतरित	89,494	683,694	1,734,722	960,004
स्थायी संपत्तियां के बिक्रय से लाभ			11,303	6,852
अन्य गैर–व्यावसायिक आय				
सदस्यों से प्रवेश शुल्क			435,108	384,150
जुर्माना आय			866,463	-
अन्य विविध आय			697	2,155
योग			**3,048,293**	**1,353,161**

नोट संख्या 20 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद एवं अन्य संबंधित व्यय

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
खरीद		
दुग्ध	1,170,838,552	445,975,897
पशु आहार	50,697,554	17,711,338
अन्य संबंधित व्यय		
दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति प्रोत्साहन राशि	6,837,230	3,642,936
योग	**1,228,373,336**	**467,330,170**

नोट संख्या 21 : व्यावसायिक व्यय

(राशि रूपयों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भरने एवं खाली करने के खर्चे	285,664	136,203
माल आवक खर्चे	25,603,287	13,208,894
सहायक प्रोत्साहन राशि	24,431,251	9,817,719
बीएमसी मजदूरी खर्चे	4,400	151,981
बीएमसी बिजली व्यय	-	153,964
बीएमसी शीतलन व्यय	12,034,014	4,766,512
बीएमसी किराया	-	68,855
स्टाम्पिंग और भार पैमाना	108,956	444
दुग्ध जांच व्यय	22,137	26,952
डीजल खर्च	-	1,042,644
डीपीएमसीयू मरम्मत/उन्नयन खर्च	2,275,040	-
उपभोग्य सामग्री	1,058,826	876,876
योग	**65,823,575**	**30,251,042**

नोट संख्या 22 : व्यवसाय में माल के स्टॉक में परिवर्तन **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यवसाय में माल के स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	4,565,053	1,162,999
घटायें: अंतिम स्टॉक	4,278,184	4,565,053
स्टॉक में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	**286,869**	**(3,402,055)**

नोट संख्या 23 : कर्मचारी लाभ व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(अ) वेतन एवं प्रोत्साहन राशि	10,285,255	7,033,634
(ब) भविष्य निधि में योगदान	545,556	257,486
(स) कर्मचारी कल्याण व्यय	217,713	78,795
(द) लीव इनकेशमेंट (नोट संख्या 5 व 29 देखें)	552,051	317,138
(य) ग्रेच्युटी (नोट संख्या 5 व 29 देखें)	393,318	212,413
(र) कर्मचारियों को बोनस	451,927	118,591
(ल) कर्मचारी प्रशिक्षण	223,367	46,641
योग	**12,669,187**	**8,064,697**

नोट संख्या 24 : वित्त लागत **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक शुल्क	7,381	4,902
टीडीएस पर ब्याज	2,553	50
जीएसटी पर ब्याज	8,596	-
बिल डिस्कांउंटिंग सुविधा पर ब्याज	5,391,864	3,141,743
योग	**5,410,394**	**3,146,695**

नोट संख्या 25 : अन्य व्यय **(राशि रूपयों में)**

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षकों को भुगतान		
-वैधानिक अंकेक्षक	160,000	75,000
-अंकेक्षण शुल्क पर जीएसटी	28,800	13,500
-कर निर्धारण मामले हेतु	14,160	14,160
-अन्य सेवायें	11,680	15,340
-खर्चो का भुगतान	2,483	15,223
विज्ञापन एवं विपणन व्यय	1,158,937	1,425,637
पेशेवर शुल्क	614,287	481,026
अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि हेतु आरओसी शुल्क	-	440,000
कार्यालय किराया	501,568	293,616
मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	1,676,565	709,701
प्रशासन व्यय	393,606	770,177
निदेशकों के बैठक शुल्क	16,520	20,060
निदेशकों का यात्रा भत्ता	16,520	28,910
प्रशिक्षण व्यय	211,221	-
कोरियर एवं डाक व्यय	5,264	5,142
टेलीफोन व्यय	641,312	365,295
मशीनरी मरम्मत व्यय	788,221	551,845
अन्य मरम्मत व्यय	44,252	28,712
मीटिंग व्यय	155,261	96,115
उन्मुखीकरण कार्यक्रम व्यय	720,213	498,905
बिजली व्यय	118,730	66,195
यात्रा एवं वाहन व्यय	1,069,376	772,227
वाहन व्यय	1,364,827	652,716
बीमा व्यय	264,893	25,987
भंडारण किराया – पशु आहार/खनिज मिश्रण	113,900	33,000
माल भेजने का व्यय	10,292,396	3,038,111
सहायक सहयोग (डिस्प्ले/साईनबोर्ड शुल्क)	-	932,200
पानी खर्च	7,430	5,515
नेटवर्किंग व्यय एवं मोबाईल मैसेजिंग शुल्क	1,215,009	1,161,695
डेयरी सदस्यता शुल्क	148,208	-
जीएसटी व्यय	40,228	-
उत्पादकता सेवा संबंधित व्यय (पीईएस)	237,732	-
अन्य व्यय विस्तृत नोट संख्या 25(I) देखें	1,548,950	611,203
योग	**23,582,548**	**13,147,213**

नोट संख्या 25(i) : अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वार्षिक आम सभा व्यय	289,052	145,501
पेंट्री व्यय	58,283	37,797
कार्यालय मरम्मत	750,701	221,618
वेईंग ब्रिज व्यय	129,980	78,770
अन्य विविध व्यय	320,934	127,518
योग	**1,548,950**	**611,203**

नोट संख्या 26 : पूर्व की अवधि के व्यय

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अ. पूर्व की अवधि के व्यय		
वित्तीय वर्ष 2018–19 का बोनस	441,005	-
उपभोग्य सामग्री–मिलावट किट (पिछले वर्षों में पूजीकृत किया गया जिस इस वर्ष खर्चे के रूप में दर्शाया गया) (नोट संख्या 10 देखें)	-	194,234
घटायें: आस्थगित अनुदान को हस्तांतरित प्रभाव (नोट संख्या 3 देखें)	-	(194,234)
योग (अ)	**441,005**	**-**
ब. गत अवधि की आय		
गत वर्ष में आय को गलती से अनुदान के खर्चों से समायोजित किया गया जिसमें सुधार कर लिया गया है। (नोट संख्या 32 देखें)	225,013	
मिलावट किट (उपरोक्त के बाद सही कर लिया गया) (नोट संख्या 10 देखें)	-	23,142
घटायें: आस्थगित अनुदान को हस्तांतरित प्रभाव (नोट संख्या 3 देखें)	-	(23,142)
योग (ब)	**225,013**	**-**
(अ–ब)	**215,992**	**-**

नोट संख्या 27 : प्रति अंश आय

(राशि रूपये में)

विवरण	इकाई	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
समता अंश धारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	33,536,610	11,767,541
वर्ष के दौरान अदत्त भारित औसत समता अंशों की संख्या	संख्या	150,194	54,297
प्रति अंश न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
प्रति अंश मूल आय	रूपये	223.29	216.72
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयुक्त समता अंश	संख्या	150,631	55,014
प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	222.64	213.90

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, वित्तीय विवरणों के नोट्स

28. 31.03.2020 को कोई भी आकस्मिक दायित्व नही है।

29. कर्मचारी लाभ योजना (लेखा मानक–15)

अ) परिभाषित अंशदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि के रूप में परिभाषित अंशदान योजना प्रदान करती है। कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की राशि को क्षैत्रिय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त में जमा कराया जाता है। कम्पनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में पूर्व निर्धारित अंशदान का भुगतान करते हैं। अंशदान सामान्यतया कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित हैं। कम्पनी ने लाभ–हानि विवरण में इस वर्ष 5,45,556 रूपये (गत वर्ष 2,57,486 रू.) की राशि को कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अंशदान के रूप में दर्शाया है।

ब) परिभाषित लाभ योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनायें प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजना के लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी क्षतिपूर्ति (सेवानिवृति से तुरन्त पहले) पर निर्भर करते हैं। ऐसी योजना में सभी नियमित कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसकी प्रतिबद्धताओं का निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। परिवर्तित वास्तविक अनुमानों के प्राप्तियों और क्षतियों को लाभ–हानि विवरण दिखाया जाता है।

निम्न तालिका परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत लीव इनकेशमेंट और ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशि को दिखाती है।

(राशि रूपयों में)

विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी	लीव इनकेशमेंट	ग्रेच्युटी
I. अनुमान				
मृत्यु दर	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.	IALM 2006-08 Ult.
बट्टा दर	6.80% p.a	6.80% p.a	7.70% p.a	7.70% p.a
क्षतिपूर्ति में वृद्धि की दर	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.	7.00% p.a.
प्लांन संपत्तियों पर आय की दर (अपेक्षित) निकासी दर	-	-	-	-
अपेक्षित औसत शेष सेवा (वर्ष)	29.83	29.83	29.64	29.64
II. दायित्वों के वर्तमान मूल्यों में कमी (पीवीओ)				

शुरूआती अवधि में पीवीओ	501,798	324,858	225,741	138,302
ब्याज की लागत	34,122	22,090	17,382	10,649
वर्तमान सेवा दर	217,049	294,812	144,057	180,420
चुकाये गये लाभ	(97,668)	(53,770)	(41,081)	(25,857)
दायित्वों पर वास्तविक (लाभ)/हानि	300,880	76,416	155,699	21,344
अवधि के समापन पर पीवीओ	**956,181**	**664,406**	**501,798**	**324,858**
III. चिट्ठे में चिन्हित की जाने वाली राशियां				
अवधि के समापन पर पीवीओ	956,181	664,406	501,798	324,858
अवधि के समापन पर प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
वित्त–पोषण की स्थिति	-	-	-	-
गैर–चिन्हित वास्तविक लाभ/(हानि)	-	-	-	-
चिट्ठे में चिन्हित शुद्ध दायित्व/(संपत्तियां)	**956,181**	**664,406**	**501,798**	**324,858**
IV. लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय				
वर्तमान सेवा लागत	217,049	294,812	144,057	180,420
ब्याज की लागत	34,122	22,090	17,382	10,649
प्लांन संपत्तियों पर अपेक्षित आय	-	-	-	-
अवधि के लिए चिन्हित शुद्ध वास्तविक लाभ/हानि	300,880	76,416	155,699	21,344
लाभ–हानि विवरण में चिन्हित व्यय	**552,051**	**393,318**	**317,138**	**212,413**
V. चिट्ठे में चिन्हित दायित्वों में परिवर्तन				
शुद्ध प्रारम्भिक दायित्व	501,798	324,858	225,741	138,302
उपरोक्तानुसार व्यय	552,051	393,318	317,138	212,413
चुकाये गये लाभ	(97,668)	(53,770)	(41,081)	(25,857)
शुद्ध अंतिम दायित्व	**956,181**	**664,406**	**501,798**	**324,858**

* उपरोक्त दायित्व गैर–पोषित हैं।

30. लेखा मानक 18– संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरणः

कम्पनी ने उन सभी संबंधित पक्षकारों को चिन्हित कर लिया है जिनके साथ उक्त अवधि के दौरान लेन–देन हुए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

अ. संबंधः

मुख्य प्रबन्धन–कर्मीः

–धर्मेन्द्र कुमार	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
–रचना शर्मा	निदेशक (31.12.2019 से पदत्याग)
–मंजु देवी	निदेशक
–गीता बाई	निदेशक
–जुल्फीना बानो	निदेशक
–प्रियंका यादव	निदेशक (31.12.2019 से पदत्याग)
–सीमा बाई जाट	निदेशक (06.08.2019 से पदत्याग)
–मनजीत कौर	निदेशक
–अंजु	निदेशक
–बलजिंदर सिंह	निदेशक
–बृजेश नारायण सिंह	निदेशक
–अंजना कुमारी	निदेशक
–मुकेश देवी	निदेशक (08.01.2020 से)
–सुनीता देवी	निदेशक (08.01.2020 से)
–गीता देवी	निदेशक (17.09.2019 से)
–सौरभ जैन	कम्पनी सचिव

ब. उपरोक्त पक्षकारों के साथ लेनदेनों की प्रकृतिः

(राशि रूपयों में)

लेनदेनों की प्रकृति	2019-20	2018-19
प्रबन्धकीय पारिश्रमिक	1,643,616	1,384,212
बैठक शुल्क	14,000	20,060
खर्चों का भुगतान	124,932	149,094
दुग्ध की खरीदः 19,288 लीटर (गत वर्ष 11,321 लीटर)	920,989	417,191
पशु आहार की बिक्री एवं अन्य शुल्क	81,620	53,080

31. लीज व्यवस्था (लेखा मानक–19)

कम्पनी ने कार्यालय भवन के लिए लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया व्यय राशि रू. 5,01,568 (गत वर्ष रू.2,93,616) को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया है।

पुरानी लीज कम्पनी के कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए थी जो 31 जुलाई, 2019 को समाप्त हो गई है और नई लीज 11 माह की अवधि के लिए की गई है जोकि 01 सितंबर, 2019 से प्रारम्भ है और इसे किसी भी पक्षकार द्वारा 3 माह पूर्व लिखित सूचना देकर निरस्त किया जा सकता है।

भावी न्यूनतम लीज किराये का भुगतानः (राशि रूपयों में)

विवरण	2019-20	2018-19
एक वर्ष से पहले देय	200,000	102,904
एक वर्ष के बाद देय	-	-

32. डेयरी हेल्थ एण्ड न्यूट्रीशन इनिसियेटिव इंडिया फाउण्डेशन (धानी) से प्राप्त/प्राप्य अनुदान के उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है – लेखा नीति सं. बी(8) देखें।

विवरण	2019-20		2018-19	
	विवरण	राशि रूपयों में	विवरण	राशि रूपयों में
प्रारम्भिक शेष		(10,752,823)		11,753,408
जोडें: अवधि के दौरान प्राप्त	25,978,200		25,438,000	
जोडें: अनुदान कोष पर प्राप्त ब्याज (अनुदान की शर्तों के अनुसार नोट सं. 19 में हस्तांतरित किया गया)	89,494	26,067,694	683,694	26,121,694
घटायें: वर्ष के दौरान लौटायी गई राशि		640,117		7,282,077
घटायें: ब्याज पर टीडीएस		11,809		
घटायें: अवधि के दौरान उपयोग				
(i) पूंजीगत संपत्तियों के लिए (नोट सं. 3 देखें)				
–आस्थगित अनुदान में ले जाये गये पीपीई	10,538,970		23,516,525	
–आस्थगित अनुदान में ले जायी गई स्थापित की जा रही संपत्तियां (CWIP)	3,062,945		5,992,640	
–पीपीई की बिक्री पर लाभ का प्रभाव	-		1,060	
–मूल्य ह्रास का प्रभाव	-	13,601,915	18,716	29,528,941
(ii)आयगत व्ययों के लिए (आयगत अनुदान)*				
प्रजनन और न्यूट्रीशन सेवाओं संबंधित पीईएस व्ययों के लिए**	7,298,800		6,365,858	
–अन्य आयगत व्ययों के लिए	4,671,839		5,451,048	
–गलती से 2016–17 के अनुदान के व्ययों से समायोजित आय (नोट 26 देखें)	225,013	12,195,652	-	11,816,906
–अनुदान की अनुमति नहीं होने का प्रभाव#		200,787		-
बचे हुए अनुदान को नोट सं. 8 में ले जाया गया (प्राप्य अनुदान को नोट सं. 16 में ले जाया गया)		**(10,933,835)**		**(10,752,823)**

* अुनदान अनुमोदन पत्र के अनुसार अनुदान की राशि में से व्यय/घाटे की सीमा तक निकाली गई राशि।

उन संपत्ति, संयत्र एवं उपकरणों (पीपीई) को दर्शाता है जो गत वित्तीय वर्षों में अनुदान की राशि से खरीदे गये है, चूंकि इसके लिए धानी की अनुमति नही है। वर्ष के दौरान पीपीई में किये गये समायोजन तथा नोट सं. 10 में उल्लेखित मूल्य ह्रास जोकि राशि रूपये 18,255/– है, को पिछले वर्षों में आस्थगित अनुदान से वसूल किया गया है को बदलकर इस वर्ष लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है। इसके अलावा पिछले वर्षों में लायी गई 2,00,787/– रूपये की आस्थगित अनुदान की राशि को बदलकर बची हुई (खर्च नही हुई) अनुदान की राशि को बढा दिया गया है।

**राशि में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

विवरण	2019-20	2018-19
–वेतन खर्च	3,309,354	2,658,763
–पीईएस से जुडे व्यय	3,989,446	3,707,095
योग	**7,298,800**	**6,365,858**

**राशि में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

विवरण	2019-20	2018-19
प्रशिक्षण व्यय–चरण–II	-	247,122
शासकीय व्यय चरण–II	-	176,038
मानव श्रम व्यय चरण–II	-	883,170
बाहरी परिवहन व्यय चरण–II	504,009	2,488,992
आन्तरिक परिवहन व्यय चरण–II	-	344,000
प्रशिक्षण और क्षमता चरण–III	3,530	-
मानव श्रम व्यय चरण–III	1,822,223	469,217
बाहरी परिवहन व्यय चरण–III	1,154,368	66,632
सहायक का वेतन चरण–III	531,215	-
सहयोगकर्ता का वेतन चरण–IV	249,288	-
सहयोगकर्ता की यात्रा चरण–IV	55,797	-
अन्य व्यावसायिक व्यय जिन्हे एफयूसी में पूंजीगत व्ययों के रूप में माना गया	351,409	775,878
योग	**4,671,839**	**5,451,048**

नोटः पूंजीगत संपत्तियों की खरीद में प्रयोग की गई अनुदान की राशि को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है। आयगत अनुदान की राशि को लेखांकन नीति संख्या बी(8) के अनुसार संबंधित खर्चों से समायोजित किया गया है।

33. कम्पनी दुग्ध और पशु–आहार के व्यवसाय में संलग्न है जिसे एकल व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है। कम्पनी भारत के एक भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है। लेखा मानक एएस–17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण लागू नही है क्योंकि कम्पनी केवल एक ही व्यवसाय और भौगोलिक क्षेत्र में संचालित है।

34. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के अनुसार सभी संपत्तियों और दायित्वों को चालू और गैर–चालू के रूप में दर्शाया गया है। कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, इसकी गतिविधियां और कार्यान्वयन के आधार पर कम्पनी ने अपने परिचालन चक्र को 12 माह से कम माना है। इसी अनुसार संपत्तियों और दायित्वों का वर्गीकरण चालू/गैर चालू के रूप में करने के लिए 12 माह की अवधि मानी गई है।

35. कम्पनी के पास बैंकों और अन्य पक्षकारों से नियमित अंतराल पर शेष/बकाया की पुष्टि करने के लिए एक निर्धारित प्रणाली है। बैंक खातों और बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण के संदर्भ में वर्तमान में कोई भी अपुष्ट शेष/बकाया नही है। जहां तक व्यावसायिक/अन्य प्राप्यों, व्यावसायिक/अन्य देयताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों का प्रश्न है उसके लिए पक्षकारों को अंकेक्षण के मानक (एसस) 505 (संशोधित) 'बाह्य पक्षकारों से पुष्टि' हेतु नकारात्मक कथन के साथ भेजे गये है। ऐसें से कुछ शेष पुष्टि/मिलान करने पर निर्भर हैं जिसकों प्रबन्धकों की राय में कोई महत्वूपर्ण प्रभाव नही होगा।

36. मार्च, 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड–19 को एक वैश्विक महामारी घोषित किया है जिसका प्रसार पूरे देश और विश्व में जारी है। 25 मार्च 2020 को भारत सरकार ने इस महामारी को स्वास्थ्य आपदा घोषित किया और पूरे देशभर में लॉकडाउन का आदेश दिया। कम्पनी ने विभिन्न्न एमपीपी, बीएमसी एवं अन्य व्यावसायिक स्थानों पर कई नवाचार लागू किये जिसमें अपने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवसाय का न्यूनतम व्यवधानों के साथ संचालन के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा के साथ–साथ कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी और कार्य–स्थल का उचित सेनेटाईजेशन जैसी चीजें लागू की। कम्पनी दुग्ध और पशु–आहार का व्यवसाय करती है जिसे मूलभूत वस्तुओं की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया और इसका परिचालन लोगों के आने–जाने एवं आपूर्ति श्रृंखला की कम चुनौतियों के साथ जारी रहा। वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक एवं बाह्य सूचनाओं के आधार पर परिस्थितियों के वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार कम्पनी का मानना है कि कम्पनी के वर्तमान एवं भावी दोनों ही व्यावसाय, संपत्तियों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लाभ एवं तरलता पर कोविड–19 का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नही पडेगा। कम्पनी आर्थिक वातावरण और आने वाले समय में इसके व्यवसाय पर पडने वाले प्रभावों के किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहनता से निगरानी करेगी।

37. अनुसूची–III में चाहे गये अन्य सभी प्रकटीकरण या तो शून्य हैं या लागू नही होते हैं।

38. गत अवधि की संख्याओं को आवश्यकतानुसार चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के संदर्भ में देखने के लिए पुनःसमुहित/वर्गीकृत किया गया है।

वास्ते् निदेशक मंडल एवं उनकी ओरसे

(मनजीत कौर) अध्यक्षा DIN: 07674902

(धर्मेन्द्र कुमार) निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी DIN: 07563916

(अंजना कुमारी) निदेशक DIN:08157328

(सौरभ जैन) कम्पनी सचिव सदस्यता संख्या 45759

(मयंक गोयल) वित्त प्रमुख

स्थान : अलवर दिनांक : 25.08.2020

हमारी उक्त तिथी की संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते् कालानी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 000722सी

कमलेश कुमार खंडेलवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 416293

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा के कार्यवृत्त

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम सभा मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त 2019 को दोपहर 1.15 बजे द्वारका दास द्रोपदी देवी स्मारक सभागार, 373, वसंत विहार, अलवर 301001 राजस्थान पर संपन्न हुई।

उपस्थिति–

1.	श्रीमती सीमा बाई जाट	अध्यक्षा और शेयरधारक
2.	श्रीमती जुल्फीना बानो	निदेशक और शेयरधारक
3.	श्रीमती गीता बाई	निदेशक और शेयरधारक
4.	श्रीमती मनजीत कौर	निदेशक और शेयरधारक
5.	श्रीमती अंजना कुमारी	निदेशक और शेयरधारक
6.	श्रीमती प्रियंका यादव	निदेशक और शेयरधारक
7.	श्री बलजिंदर सिंह	विशेषज्ञ निदेशक
8.	श्री ब्रजेश नारायण सिंह	विशेषज्ञ निदेशक
9.	श्री धर्मेंद्र कुमार	मुख्य कार्यकारी और निदेशक
10.	श्री सौरभ जैन	कम्पनी सचिव

5529 समता अंश रखने वाले 214 अंश धारक स्वयं मौजूद थे और 95607 समता अंश रखने वाले प्रॉक्सी (प्रतिनिधी) के माध्यम से 8450 अंशधारक मौजूद थे।

क. श्रीमती सीमा बाई जाट ने बैठक की अध्यक्षता ली।

ख. कम्पनी सचिव, श्री सौरभ जैन ने कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के संदर्भ में उपस्थित कोरम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी का रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और निदेशको की शेयरहोल्डिंग का रजिस्टर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

ग. अध्यक्षा महोदय ने चौथी वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्याओं एवं निदेशकों का स्वागत किया।

घ. उपस्थित सदस्याओं की सर्व सम्मति से, चौथी वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही सभी सदस्याओं को वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

च. तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों सम्बन्धी जानकारी दी। संबोधन समाप्त करने के बाद अध्यक्षा महोदय ने बैठक में चौथी वार्षिक आम बैठक के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का लेन–देन करने के निर्देश दिये।

तत्पश्चात्, अध्यक्षा महोदया की सलाह पर, श्री सौरभ जैन, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारम्भ की।

1. 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि, खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

1.1 श्रीमती प्रेम (फोलियो संख्या 0001816) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 01 / चौथी वार्षिक आम सभाः 06.08.2019 / 2018–19

दिनांक 31 मार्च 2019 को कम्पनी की अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ–हानि खाता, उसकी अनुसूचियाँ और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशको एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

श्रीमती मन्ना (फोलियों संख्या 0009236) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कम्पनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।**

2.1 श्रीमती सोमोती (फोलियो संख्या 0006210) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 02 / चौथी वार्षिक आम सभा : 06.08.2019 / 2018–19

प्रस्ताव पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रूपये 8/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रूपये 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 1,10,301 समता अंशों पर रूपये 10,63,790/– (जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रूपये 1,81,382/– शामिल है) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की गई और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जावेगा जिनका नाम 31 मार्च 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती बर्फी देवी (फोलियो संख्या 0011185) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती मंजीत कौर (DIN: 07674902) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जो कि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करती हैं।

3.1 श्रीमती सावित्री (फोलियो संख्या 0001608) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 03 / चौथी वार्षिक आम सभा:06.08.2019 / 2018–19

"प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रीमती मंजीत कौर (DIN: 07674902), कम्पनी निदेशक जोकि इस आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित

करती हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।

श्रीमती सुनीता देवी (फोलियो संख्या 0002161) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

चूंकि आईटम संख्या 4 श्रीमति सीमा बाई जाट से संबंधित है अतः श्रीमति सीमा बाई जाट इस एजेन्डा आइटम में भाग नहीं ले सकती तदनुरूप श्रीमति सीमा बाई जाट ने चेयर छोड़ी तथा इस एजेन्डा आइटम के लिए श्रीमति जुल्फीना बानो को सदस्यों की सर्वसम्मति से अध्यक्षा नियुक्त किया गया।

4. श्रीमती सीमा बाई जाट (DIN: 07639700) जोकि इस आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रही हैं यदि योग्यताऐं पूरी करती हैं तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

4.1 श्रीमती बेला देवी (फोलियो संख्या 0002323) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 04 / चौथी वार्षिक आम सभा : 06.08.2019 / 2018–19

प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रीमती सीमा बाई जाट (DIN: 07639700) जो कि एक निदेशक हैं तथा जो इस आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत हो रही हैं, अपात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत नहीं कर रही है। अतः इनको पुनः नियुक्त नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रिक्ति को नहीं भरा गया।

श्रीमती चमेली देवी (फोलियो संख्या 0000471) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निधारित करना।

5.1 श्रीमती अबजीला (फोलियो संख्या 0008653) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 05 / चौथी वार्षिक आम सभा : 06.08.2019 / 2018–19

प्रस्ताव पारित किया गया कि मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, जयपुर चार्टेड अकाउण्टेन्ट (फर्म पंजीकरण सं. 000722C) को पारिश्रमिक रूपये 95,000/– (अक्षरे रूपये पिच्यान्वे हजार) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस चौथी वार्षिक आम सभा की सहमति से लेकर आगमी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती आरती (फोलियो संख्या 0008891) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारितकिया।

6. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

6.1 श्रीमती सावत्री देवी (फोलियो संख्या 0003807) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 06/चौथी वार्षिक आम सभा : 06.08.2019/2018–19

प्रस्ताव पारित किया गया कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

श्रीमती बीना कंवर (फोलियो संख्या 0004712) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कम्पनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन पर विचार करना और उसे मंजूरी देना।

7.1 श्रीमती इन्द्रा देवी (फोलियो संख्या 0003468) ने निम्नलिखित प्रस्ताव कों विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया–

प्रस्ताव संख्या 07/चौथी वार्षिक आम सभा : 06.08.2019/2018–19

श्रीमती आशा देवी (फोलियो संख्या 0004285) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

"प्रस्ताव पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा581-I, 581ZQ, 581ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैं–

1. वर्तमान अनुच्छेद 4.2 (iii) को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जायें; –

वह व्यक्ति कम्पनी का सदस्य नही बन सकता है, यदि

क. वह किसी प्रकार का व्यवसायिक हित रखता हो जोकि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो अथवा

ख. वह कम्पनी में प्रत्यक्ष रूप से वेतन पंजिका में अथवा ठेकेदार के माध्यम से अथवा किसी भी संविदात्मक आधार पर वित्तीय वर्ष के तुरन्त पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षो में या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान जिसमें से नामांकित करने का प्रस्ताव है, में लगातार कम से कम 6 माह कार्यरत रहा हो।

2. अनुच्छेद 9.6 के उप–अनुच्छेद (i) के प्रथम वाक्य में दिये गये शब्द ''अनुच्छेद 9.5 के तुरन्त बाद प्रत्येक वार्षिक आम सभा में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत करने के लिए निदेशकों को उनके अंतिम नियुक्ति के पश्चात कार्यालय में सबसे दीर्घ अवधि से है, परन्तु जो निदेशक उसी दिन निदेशक नियुक्त किए गए है। उनके बीच सेवानिवृत होने वाले निदेशक डिफॉल्ट रूप से और उनके मध्य किसी भी समझौते के अधीन, लोट द्वारा निर्धारित (Determind by lot) किया जायेगा इन शब्दों को रखा जाये।

3. अनुच्छेद 9.6 के उप–अनुच्छेद (iii) के द्वितीय वाक्य में दिये गये शब्द ''लगातार कार्यकाल'' के तुरन्त बाद ''ऐसे निदेशक'' पद छोड़ने के तीन वर्षो की अवधि के पश्चात, नियुक्ति के पात्र होंगे। अनुच्छेद 9.7 के अंतर्गत निदेशक की नियुक्ति इस अनुच्छेद के तहत कार्यकाल के रूप में नही मानी जाएगी इन शब्दों को रखा जाये।

4. वर्तमान अनुच्छेद 9.7 को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये–

बोर्ड में रिक्तता को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को सहयोजित (co-opt) कर सकता है बशर्ते है कि आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिए चुने गए सदस्य ने कम से कम गत दो वित्तीय वर्षो के लिए सदस्यता मापदंडों को निरन्तर रूप से पूरा किया हो और अगर बोर्ड नियुक्ति के समय निर्णय लेता है, ऐसे अतिरिक्त निदेशकों या निदेशक को कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा या उससे कम अवधि के लिए कार्यभार संभालेगें। हालाकि, बोर्ड रिक्त को भरने के लिए ऐसे व्यक्ति को लगातार दो वित्तीय वर्षो में सहयोजित नही कर सकता है।

5. निम्न नये अनुच्छेद 9.16xvi को वर्तमान अनुच्छेद 9.16xv के बाद रखा जाये।

9.16xvi वह या उसका रिश्तेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी में (सदस्यता लाभ के अतिरिक्त), दो प्रतिशत अथवा उससे अधिक सकल कारोबार में अथवा कुल आय में अथवा पच्चीस हजार रूपये या बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई अधिक राशि, जो भी कम हो, तुरन्त पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, का आर्थिक सम्बन्ध या लेनदेन किया/करता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

अध्यक्षा महोदया ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. सभा में लेनदेन करने के लिए अन्य कोई व्यवसाय नहीं होने के कारण अध्यक्षा महोदया के धन्यवाद के साथ सभा सम्पन्न हुई।

दिनांक – **अध्यक्षा**

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U01122RJ2016PTC049648
पंजीकृत कार्यालय – प्लॉट संख्याः – 8बी, रूपवास रोड़, भवानी तोप, अलवर – 301002
टेलीफोन : 0144 –2330332
ई–मेल : alwar.mpc@gmail.com**वैबसाईट :**www.sakhimilk.com

नोटिस

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की पांचवीं वार्षिक आम सभा सोमवार,दिनांक 9 नवम्बर, 2020 को दोपहर 01:15 बजे रितुम्भरा रिसोर्ट, सरिस्का रोड़, अलवर – 301001 (राज.) पर निम्न कार्यो के लिये होगी–

1. 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित बैलेन्स शीट तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और उक्त संदर्भ में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना–

   "दिनांक 31 मार्च, 2020 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसूचियाँ और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना –

   "प्रस्ताव पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 2,69,828/– समता अंशो पर रू. 21,58,624 वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

3. श्रीमती मंजु देवी (DIN: 08067920) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करने और नियुक्त करने के लिए जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर और अपात्र होने के कारण पुनःनियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित नहीं करती हैं।

   सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

   प्रस्ताव पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्याय IX-A के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई निदेशक श्रीमती मंजु देवी (DIN: 08067920) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होता है और अपात्र होने के कारण पुनःनियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित नहीं करता है, श्रीमती कौशल्या को उक्त रिक्त पद पर निदेशक नियुक्त किया जाता है जिनकी सेवानिवृत्ति चक्रीय क्रम में होगी।

4. श्रीमती गीता बाई (DIN: 07470371) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करने और नियुक्त करने के लिए जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होगी और अपात्र होने के कारण पुनःनियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित नहीं करती हैं।

   सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –
   प्रस्ताव पारित किया गया कि कम्पनी एक्ट, 1956 के अध्याय IX-A के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई निदेशक श्रीमती गीता बाई

(DIN: 07470371) आगामी वार्षिक आम बैठक में चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होता है और अपात्र होने के कारण पुनःनियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तावित नहीं करता है, श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी को उक्त रिक्त पद पर निदेशक नियुक्त किया जाता है जिनकी सेवानिवृत्ति चक्रीय क्रम में होगी।

5. श्रीमती गीता देवी का निदेशक के रूप में विचार करना और उनकी नियुक्ति करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रीमती गीता देवी (DIN 08565123) जो दिनांक 17/09/2019 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में रहीं और इसके द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी सेवानिवृत्ति चक्रीय क्रम में होगी।

6. श्रीमती मुकेश देवी का निदेशक के रूप में विचार करना और उनकी नियुक्ति करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रीमती मुकेश देवी (DIN 08661947) जो दिनांक 08/01/2020 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में रहीं और इसके द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी सेवानिवृत्ति चक्रीय क्रम में होगी।

7. श्रीमती सुनीता देवी का निदेशक के रूप में विचार करना और उनकी नियुक्ति करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रीमती सुनीता देवी (DIN 08661962) जो दिनांक 08/01/2020 से कम्पनी के निदेशक मण्डल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यालय में रहीं और इसके द्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी सेवानिवृत्ति चक्रीय क्रम में होगी।

8. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनः नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना –

मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी, चार्टेड अकाउण्टेंट्स, जयपुर, राजस्थान (फर्म पंजीकरण संख्या 000722C) को पारिश्रमिक रूपये 1,15,000/– (अक्षरे रूपये एक लाख पन्द्रह हजार) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस पाँचवी वर्षिक आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुनः नियुक्त किया जाता है।

9. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना –

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद् द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।

10. कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों में परिवर्तन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना –

कम्पनी अधिनियम, 1956, और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, कम्पनी अधिनियम, 1956 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (एक साथ किसी भी सांविधिक संशोधन या उसके लागू होने के लिए फिर से अधिनियमन के साथ), और कम्पनी के अन्तर्नियमों एवं बर्हिनियमों के प्रावधान और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन कम्पनी के बर्हिनियमों का मौजूदा क्लॉज IIIA हो सकता है और इसके द्वारा बिंदु 5 के रूप में नए उद्देश्य का पालन करके और मौजूदा बिंदु 5 को नए बिंदु 6 के रूप में बदल दिया गया है।

5. प्राथमिक उत्पादों और इसके व्युत्पन्नों की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, आयात, निर्यात आदि के व्यवसाय को जारी रखना, जिसमें मुख्य रूप से सदस्यों और अन्य लोगों के खाद्य तेल, फल और सब्जियों तक सीमित नहीं है, उसी का विपणन करना और उससे सम्बन्धित किसी भी गतिविधि का हिस्सा या आकस्मिक गतिविधियों में निपटना।

आगे यह प्रस्तावित किया गया कि उक्त प्रस्ताव को प्रभावी रूप देने के लिए कम्पनी का निदेशक मण्डल इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न या संदेह होता है तो निदेशक मण्डल अपने विवेक से तथा यदि आवश्यक व समीचीन समझें तो उक्त समस्या को निपटाने के लिए पूर्णतः अधिकृत हैं।

11. कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना–

"निर्णय लिया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा16 व 94 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश,अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रू 100/– (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 5,00,000(पाँच लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रू 100/–(एक सौ रुपये) प्रत्येक के 5,00,000(पांच लाख) समता अशों में विभाजित रू 5,00,00,000 (अक्षरे रुपये पाँच करोड़) से बढ़ाकर 100/– (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) समता अशों में विभाजित रू 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़) किया जाए।

यह भी निर्णय लिया जाता है कि, कम्पनी के बहिर्नियमों में पुन र्सख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

''VI. -कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु, 10,00,00,000 (रुपये दस करोड़) है, जो रु. 100/– प्रतिशेयर के 10,00,000 (दस लाख) शेयरों मे बटी है।''

आगे यह प्रस्तावित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव को प्रभावी रूप देने के लिए कम्पनी का निदेशक मण्डल इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित करने सम्बन्ध में कोई प्रश्न या संदेह होता है तो निदेशक मण्डल अपने विवेक से तथा यदि आवश्यक व समीचीन समझें तो उक्त समस्या को निपटाने के लिए पूर्णतः अधिकृत हैं।

12. कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुछेदो में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए विशेष प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया जा सकता है –

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-। से सम्बन्धित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581-I, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई है, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 31 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियर्मों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैं–

1. वर्तमान अनुच्छेद 9.5 i को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये –

बोर्ड में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालांकि, यह आवश्यकता कम्पनी की 7वीं वार्षिक आम सभा के बाद लागू होगी।

2. वर्तमान अनुच्छेद 9.6ii को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये –

वार्षिक आम बैठक में भरी जाने वाली बोर्ड में कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी हालांकि यह प्रावधान कम्पनी का के बाद प्रचलन में होगा और ऐसे समय तक बोर्ड की सिफारिश के आधार पर रिक्त पदो को भरा जाएगा।

3. वर्तमान अनुच्छेद 9.6ii को रूपान्तरित कर निम्न अनुसार पढ़ा जाये –

बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशक या निदेशक का चयन कर सकता है बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड को पूरा किया है और इसलिए नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कम्पनी की अगली वार्षिक आम बैठक तक या कम अवधि के लिए कार्यालय आयोजित करेंगे यदि बोर्ड निर्णय लेता है तो बोर्ड आकस्मिक रिक्ति के समय नियुक्ति. हालांकि, ऐसे व्यक्ति को दो बाद के वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए चुना नहीं जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड की आवश्यकता कम्पनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन के बाद से प्रभावी होगी।

4. मौजूदा अनुच्छेद 11.6 i.C संशोधित किया गया है जोकि निम्न प्रकार है
"किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्या न हो। जिस सदस्या को प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है वह उस सदस्या या 300 से कम ऐसे सदस्याओं की ओर से कार्य करेगी जिनके पास कंपनी की कुल अंश पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक नही है।"

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि यह प्रस्ताव पूर्व की सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को आवश्यक फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो , डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिये जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

स्थान – अलवर

दिनांक – 20.10.2020

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

धर्मेन्द्र कुमार

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

नोट्स –

1. कम्पनी को प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी COVID–19 संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा तथा माननीय जिलाधिकारी द्वारा केवल 100 सदस्यों को एकत्र करने की अनुमति दी गई है। इसलिए, कम्पनी की सदस्या जो वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेना चाहती हैं, उन्हें वार्षिक आम बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कम्पनी को सूचित करना होगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मानदण्डों और अन्य सभी COVID–19 संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकें। तथा सदस्याओं से अनुरोध है कि ''मास्क'' लगाकर ही आम सभा में भाग लें।

2. कोई भी सदस्या जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्या को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी की सदस्या होना आवश्यक है। गैर सदस्या को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

3. सदस्यों / प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत रूप से भरी गई उपस्थिति पर्ची लावें।

4. सभी संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेजों को सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 18.00 बजे) के दौरान शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लाएं क्योंकि कम्पनी वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।

6. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा की दिनांक से 7 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करे।

7. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

9. वार्षिक आम सभा स्थल पर हथियार, गोला–बारूद, चाकू व ब्लेड, आदि लाना प्रतिबंधित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(c) के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं सम्बन्धी विवरण।

मद संख्या 3, 4, 5, 6, 7

नाम	**व्यवसाय**	**योग्यता**
श्रीमती गीता देवी	पशुपालन	सीनियर सेकेंडरी (12वीं)
श्रीमती मुकेश देवी	पशुपालन	स्नातक (बीए)
श्रीमती सुनीता देवी	पशुपालन	स्नातक (बीए)
श्रीमती कौशल्या	पशुपालन	पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड
श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी	पशुपालन	स्नातक (बीए)

स्थान – अलवर

दिनांक – 20.10.2020

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
धर्मेन्द्र कुमार
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

व्याख्यात्मक विवरण –

मद संख्या – 5

श्रीमती गीता देवी को कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा कम्पनी के अन्तर्नियमो एवं बर्हिनियमों के अनुसार दिनांक 17 सितंबर, 2019 से कम्पनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक केवल कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की दिनांक तक ही कार्यरत हैं।

बोर्ड का मानना है कि कम्पनी के निदेशक के रूप में श्रीमती गीता देवी की नियुक्ति वांछनीय है और यह कम्पनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कम्पनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त प्रस्ताव संख्या 5 की अनुशंसा करता है।

उक्त प्रस्ताव में श्रीमती गीता देवी को छोड़कर कम्पनी का कोई भी निदेशक/प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक किसी भी प्रकार से रुचि नहीं रखता है। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या – 6

श्रीमती मुकेश देवी को कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा कम्पनी के अन्तर्नियमो व बर्हिनियमों के अनुसार दिनांक 8 जनवरी, 2020 से कम्पनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक केवल कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की दिनांक तक ही कार्यरत हैं।

बोर्ड का मानना है कि कम्पनी के निदेशक के रूप में श्रीमती मुकेश देवी की नियुक्ति वांछनीय है और यह कम्पनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कम्पनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त प्रस्ताव संख्या 6 की अनुशंसा करता है।

उक्त प्रस्ताव में श्रीमती मुकेश देवी को छोड़कर कम्पनी का कोई भी निदेशक/प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक किसी भी प्रकार से रुचि नहीं रखता है। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या – 7

श्रीमती सुनीता देवी को कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा कम्पनी के अन्तर्नियमो व बर्हिनियमों के अनुसार दिनांक 8 जनवरी, 2020 से कम्पनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था। उपरोक्त निदेशक केवल कम्पनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की दिनांक तक ही कार्यरत हैं।

बोर्ड का मानना है कि कम्पनी के निदेशक के रूप में श्रीमती सुनीता देवी की नियुक्ति वांछनीय है और यह कम्पनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कम्पनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त प्रस्ताव संख्या 7 की अनुशंसा करता है।

उक्त प्रस्ताव में श्रीमती सुनीता देवी को छोड़कर कम्पनी का कोई भी निदेशक/प्रधान प्रबंधकीय कार्मिक किसी भी प्रकार से रुचि नहीं रखता है। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या – 10

कम्पनी के सदस्यों और हमारे संचालन के क्षेत्र में अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि कम्पनी थोक में सोर्सिंग करके प्रतिस्पर्धी मूल्य पर कुछ दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे खाद्य तेल, फल, सब्जियाँ आदि प्रदान करने की व्यवस्था कर सकती है। सदस्यों के बीच पारस्परिकता और पारस्परिक सहायता की तकनीकों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए कम्पनी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और आगे, मिशन के लिए सही होने के लिए, कम्पनी ऐसी गतिविधियाँ शुरू करना चाहेगी जो कम्पनी के संचालन के क्षेत्र में सदस्यों और अन्य लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। भविष्य में इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, साथ में नोटिस के मद संख्या 10 पर प्रस्ताव में निर्धारित प्रयोजन को जोड़ने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

लागू सांविधिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि प्रस्ताव के निकाय में गणना की गई है, कम्पनी को कम्पनी के अन्तर्नियमों व बर्हिनियमों की धाराओं व उप–धाराओं में किसी भी संशोधन के लिए सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ ज्ञापन और कम्पनी के अन्तर्नियमों व बर्हिनियमों की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आम सभा की तारीख तक उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशकों / अधिकारियों अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मण्डल सदस्यों के अनुमोदन के साथ नोटिस के मद संख्या 10 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद संख्या – 11

वर्तमान समय में, कम्पनी की अधिकृत पूंजी रु. पाँच करोड़ है तथा जारी की गई, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी लगभग तीन करोड़ रूपये है। कम्पनी की सामान्य व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कम्पनी की वृद्धि एवं विकास से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रु. 10 करोड़ तक बढ़ाना आवश्यक है। अतः कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इस उद्देश्य हेतु, इसके साथ संलग्न मद सं. 11 में दिए गए प्रस्ताव में किए गए वर्णन के अनुसार कम्पनी के बहिर्नियमों में बदलने का प्रस्ताव है।

लागू सांविधिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि प्रस्ताव के निकाय में गणना की गई है, कम्पनी के अन्तर्नियमों व बर्हिनियमों की धाराओं व उपधाराओं में किसी भी संशोधन के लिए सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ ज्ञापन और कम्पनी के अन्तर्नियमों व बर्हिनियमों की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सभी कार्य दिवसों पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक की आम सभा की तारीख तक उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशकों / अधिकारियों अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मण्डल सदस्यों के अनुमोदन के साथ नोटिस के मद संख्या 11 में निर्धारित सामान्य प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद संख्या – 12

समावेशी शासन सुनिश्चित करने के लिए यह उम्मीद की जाती है कि संचालन के पूरे क्षेत्र की सदस्यता के लिए एक अच्छी तरह से वितरित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। पिछले साल कम्पनी की सदस्यता 300 गाँवों में थी जो कि 600 गाँवों में हो चुकी है। अतः चालू वर्ष के दौरान गाँवों का दायरा 300 से 600 गाँवों तक विस्तारित हो गया जिसका अर्थ है कि सदस्यता इन सभी 600 गाँवों में हो चुकी है। अतिरिक्त रूप से कवर किए गए 300 गाँवों के सदस्यों को जल्द से जल्द कम्पनी के बोर्ड में खुद का प्रतिनिधित्व करने के अवसर देना उचित होगा। लेकिन कम्पनी के अन्तर्नियमों (अनुच्छेद 9.5) के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को कम्पनी के बोर्ड के लिए चुने जाने के लिए पात्र बनने के लिए सदस्यता के एक वर्ग से संबंधित कुछ योग्यता मानदण्डों को बनाए रखने की जरूरत है। सदस्यता का एक वर्ग प्राप्त करने के लिए, किसी भी सदस्य को आवश्यक वर्ग मानदंडों को पूरा करने के लिए कुछ दिनों और मात्रा के लिए दुग्ध की आपूर्ति का कार्य करना होगा। यह नए संगठित 300 एमपीपी के तहत कवर किए गए सदस्यों के लिए अगले दो वर्षों के लिए वर्ग आधारित आवश्यकताओं को अर्जित करने के लिए मुश्किल होगा। साथ ही दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिनिधियों से जुडे अनुच्छेद को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया जाता है। इसी प्रकार मण्डल को वर्ग आधारित प्रतिनिधित्व को लंबित करने और प्रतिनिधियों से जुडे प्रावधानों में नोटिस में दिये गये अनुच्छेद के प्रावधानों को संशोधित करते हुए परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया जाता है।

लागू सांविधिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि प्रस्ताव के निकाय में गणना की गई है, कम्पनी को कम्पनी के अन्तर्नियमों व बर्हिनियमों की धाराओं व उपधाराओं में किसी भी संशोधन के लिए सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है।

प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ ज्ञापन और कम्पनी के अन्तर्नियमों व बर्हिनियमों की एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच सभी कार्य दिवसों पर आम सभा की तारीख तक उपलब्ध रहेगी।

कम्पनी के निदेशकों/ अधिकारियों अथवा उनके संबंधियों का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मण्डल सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 12 में निर्धारित विशेष प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

आयगत बजट

क्रम सं.	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्तीय वर्ष 2020–21
1.	दुग्ध खरीद	(किलोग्राम प्रतिदिन)	128363
2.	आय	(रुपये लाख में)	21974.75
3.	परिवर्तनशील लागत	(रुपये लाख में)	21638.26
4.	स्थिर लागत	(रुपये लाख में)	344.36
5.	**दुग्ध संचालन से शुद्ध लाभ/(हानि)**	**(रुपये लाख में)**	**(35.31)**
6.	धानी से दुग्ध संचालन के लिए परिचालन घाटे का समर्थन	(रुपये लाख में)	44.02
7.	पीईएस गतिविधियों के लिए राजस्व व्यय	(रुपये लाख में)	131.49
8.	**पीईएस गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि)**	**(रुपये लाख में)**	**(131.49)**
9.	धानी से उत्पादकता बढ़ाने की गतिविधियों के लिए प्रस्तावित समर्थन	(रुपये लाख में)	108.03
10.	**उत्पादकता बढ़ाने की गतिविधियों के बाद आय**	**(रुपये लाख में)**	**12.68**

पूँजीगत बजट

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए पूंजीगत बजट

क्रम सं.	विवरण	इकाई	राशि
1.	कैन्स लागत	(रुपये लाख में)	93.60
2.	हेड ऑफिस सेटअप	(रुपये लाख में)	12.00
3.	आईसीटी	(रुपये लाख में)	31.50
4.	एमपीपी सेटअप लागत	(रुपये लाख में)	30.00
5.	डीपीएमसीयू	(रुपये लाख में)	299.25
6.	एमसीसी/बीएमसी	(रुपये लाख में)	12.00
7.	एएमसीयू/आरएमआरडी	(रुपये लाख में)	6.40
8.	क्लस्टर कार्यालय सेटअप	(रुपये लाख में)	5.00
	कुल	**(रुपये लाख में)**	**489.75**
	धानी फाउंडेशन से प्राप्त कैपेक्स की प्रस्तावित फण्डिंग	**(रुपये लाख में)**	**453.05**
	कैपेक्स अपने स्वयं के फण्ड सें	**(रुपये लाख में)**	**36.70**

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन: 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com, बेवसाइट: www.sakhimilk.com

प्रॉक्सी फॉर्म

फोलियो संख्या						

सदस्या कोड:																

मै... निवासी ....सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या, सम्मति से श्रीमती ....फोलियो संख्या............. निवासी ....अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्रीमती ....फोलियो संख्या .... निवासी .... को सोमवार, 09 नवम्बर 2020 दोपहर 1: 15 बजे रितुम्भरा रिसोर्ट, सरिस्का रोड, अलवर (राज.) में होने वाली कंपनी की पाँचवी वार्षिक आम सभा में या उसके स्थगन के लिए , मै मेरी तरफ से वोट देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ |

(क) उपस्थिति के लिए ....

(ख) उपस्थिति एवं वोट देने के लिए........................

₹1 का

राजस्व टिकट लगाएँ

दिनांक

हस्ताक्षर

नोट: ध्यान रहे की प्रॉक्सी फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुचना आवश्यक है | तथा प्रॉक्सी को सखी कंपनी की सदस्या होना अनिवार्य है |

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन: 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com, बेवसाइट: www.sakhimilk.com

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या

मैं..निवासी...सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ | मैने कंपनी द्वारा भेजी गयी पाँचवी वार्षिक आम सभा की सूचना सभी अनुलग्नको के साथ प्राप्त कर लिया है |

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक..................

स्थान...................

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन: 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com, बेवसाइट: www.sakhimilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या						

सदस्या कोड:																

मैं सोमवार 09 नवंबर 2020 को आयोजित सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की पाँचवी वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

सदस्या का नाम...

प्रॉक्सी का नाम ....(प्रॉक्सी द्वारा बैठक में उपस्थिति की स्थिति में)

(क) उपस्थिति के लिए.................................

(ख)उपस्थिति एवं वोट देने के लिए................

अंशधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

*जो लागू ना हो उसे काट दे |

Sakhi Dairy
सखी घी
खाने को बनाए अति स्वादिष्ट
और सेहत को बनाए तंदुरूस्त
सखी डेरी
घी
Suggested Preparation
सखी - सशक्त महिलाओं का गौरव
सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
Plot No. - 8B, Roopwas Road, Bhawani Top, Alwar - 301 002, Rajasthan, India
In case of complaints, Call - 7665 358 358; Email - customercare@sakhimilk.com